श्रम संगम

वर्ष: 4, अंक: 2
जुलाई-दिसम्बर 2018

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार 30.01.2018 को आयोजित महापरिषद की बैठक में श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव; श्री हीरालाल सामरिया, अपर सचिव; श्री अरुण गोयल, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में 'लेबर एंड डेवलपमेंट' प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की गृह पत्रिका 'श्रम संगम' को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना (गृह पत्रिका) के तहत वर्ष 2017–18 के लिए 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार हिन्दी दिवस 2018 के अवसर पर दिनाँक 14 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु जी द्वारा प्रदान किया गया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु जी से पुरस्कार ग्रहण करते हुए संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वीवीजीएनएलआई, मंत्रालय में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुरस्कार प्राप्त करने पर संस्थान के महानिदेशक एवं अन्य कार्मिकों को बधाई देते हुए।

श्रम संगम

वर्षः 4, अंकः 2, जुलाई-दिसम्बर 2018

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	2
❍	प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक : संत कबीर दास	3
❍	मेरा भी है अधिकार (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	8
❍	सुधा सिंधु – डॉ. संजय उपाध्याय	9
❍	जीवन चलने का नाम (कविता) – डॉ. एलीना सामंतराय	12
❍	जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी – राजेश कुमार कर्ण	13
❍	भ्रष्टाचार से ग्रसित समाज – डॉ. शशि बाला	20
❍	महिला नहीं अब अबला नारी (कविता) – रुचिका चौहान	21
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2018 का आयोजन	22
❍	आश्रय गृहः आसरा या आपदा – बीरेन्द्र सिंह रावत	25
❍	लोग हैं! (कविता) – दिगम्बर सिंह बिष्ट	30
❍	प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पर्यावरण संरक्षणः विज़न, कार्य एवं मिशन – राजेश कुमार कर्ण	31
❍	दो लघु निबंध – रम्या रावत	39
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन	40
❍	राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान/नियम/घटनाक्रम – बीरेन्द्र सिंह रावत	41
❍	आयुष्मान भारतः स्वस्थ एवं समृद्ध भारत की ओर बढ़ते कदम – राजेश कुमार कर्ण	44
❍	संस्थान का 44वाँ स्थापना दिवस समारोह	48

मुख्य संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
एसोसिएट फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रणः चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

महानिदेशक की कलम से...

हिंदी बहुत ही सरल, सहज एवं सुबोध भाषा है तथा इसे आसानी से बोला–सीखा जा सकता है। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं के कारण आज यह भारत के नौ प्रदेशों नामतः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों नामतः दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मुख्य भाषा होने के साथ–साथ लगभग सभी राज्यों में विचार–विनिमय, लेन–देन, व्यवसाय–व्यापार एवं बोधगम्यता की भाषा बन गई है। हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत हम सभी से यह अपेक्षा की गयी है कि सरकारी कामकाज में हम हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। हम राजभाषा नीति संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ–साथ गृह पत्रिकाओं में अपना योगदान दें तो बेहतर होगा क्योंकि राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में राजभाषा पत्रिकाएं भी महती भूमिका निभाती हैं।

इसी क्रम में, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा वर्ष 2015 से छमाही राजभाषा गृह पत्रिका 'श्रम संगम' का प्रकाशन किया जा रहा है तथा मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि संस्थान की गृह पत्रिका 'Je lxe' को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना (गृह पत्रिका) के तहत वर्ष 2017–18 के लिए 'क' क्षेत्र में 'f}rh; iqjLdkj' प्राप्त हुआ।

'श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

एच श्रीनिवास

¼Mk- ,p- Jhfuokl½

प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक: संत कबीर दास

thouoÙk

कबीर के जीवनवृत के संबंध में अनेक मत हैं। इनके जन्म, माँ–बाप, पालन पोषण आदि व्यक्तिगत विवरण निर्विवाद नही हैं। उनकी एक काव्य–पंक्ति के अनुसार तो उनका जन्म–स्थान मगहर नामक छोटा–सा कस्बा है जो गोरखपुर से लगभग तेरह मील दूर है तथा जहां आज भी नदी के तट पर एक समाधि बनी हुई हैः

ifgy njlu exgj ikb;k]
Qfu dklh cl vkbA

पर अधिकांश लोग उनका जन्म–स्थान काशी जनपद का लहरतारा नामक स्थान मानते हैं। स्वामी परमानंद दास कृत 'कबीर मंसूर', लहनासिंह की पुस्तक 'कबीर कसौटी' तथा स्वामी युगलानन्द के चरित्रबोध उनकी जन्मभूमि लहरतारा ही मानते हैं। प्रचलित दंतकथा भी यही कहती है कि मुसलमान संतान–विहीन जुलाहा दंपति नीरू और नीमा को कबीर परित्यक्त शिशु के रूप में इसी स्थान पर तालाब के किनारे मिले थे और उन्होंने ही उनका पालन–पोषण किया था। उनका अधिकांश जीवन काशी में बीता थाः

cgr cjl ri dh;k dklhA
Hkl Hkb;k exgj dk oklhA

इनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित हैः

pkng lk ipiu lky x,]
pæokj bd BkV B,A

tB lqjh cjlkr dk]
iqjueklh frfFk çdV Hk,A

अर्थात संवत 1455 (सन 1398 ई.) में कबीर का जन्म हुआ था। इनके साहित्य के साक्ष्य से यह अवश्य कहा जा सकता है कि उन्हें जीवन–संघर्ष विरासत में मिला था। इन्हें दीर्घायु मिली थी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इनका मृत्यु–काल संवत 1575 (सन 1518 ई.) मानते हैं। इस आधार पर इनकी आयु एक सौ बीस वर्ष निश्चित होती है।

उनकी मृत्यु के संबंध में भी एक किंवदंती है कि उनके शव को लेकर हिन्दू–मुसलमानों में झगड़ा हुआ, दोनों उन का अंतिम संस्कार अपनी–अपनी रीति से करना चाहते थे। विवाद बढ़ा तो पाया गया कि शव के स्थान पर वहाँ केवल फूल थे। वे बाँट लिए गए और दोनों संप्रदायों के शिष्यों ने अपनी–अपनी रीति से उनका संस्कार किया। जहां तक उनकी कब्र का प्रश्न है कुछ मानते हैं कि मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व वह जानबूझ कर काशी से मगहर आ गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई और वहीं उन्हें दफनाया गया पर कुछ मानते हैं कि उनको अयोध्या के निकट रतनपुर नामक स्थान पर दफनाया गया।

प्रायः कबीर को स्वामी रामानन्द का शिष्य बताया जाता है और इस मत की पुष्टि के लिए निम्नलिखित पंक्ति उदधृत की जाती है।

dklh e ge çdV Hk, g] jkekuUn prk, A

जनश्रुति है कि मुसलमान परिवार में पाले–पोसे जाने के कारण कबीर को वैष्णव धर्म में दीक्षित नहीं किया गया। कबीर को पता था कि स्वामी रामानन्द प्रतिदिन प्रातः काल झुटपुटे में काशी के गंगा–तट पर स्नान करने जाते हैं, अतः एक दिन वह गंगा–तट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब स्वामी जी गंगा–स्नान के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे, उनकी खड़ाऊँ कबीर के शरीर से टकराईं और उनके मुख से यकायक 'राम–राम' निकल पड़ा। कबीर ने उसे ही गुरु–मंत्र मान लिया और स्वयं को रामानन्द का शिष्य कहने लगे।

इस घटना का उल्लेख कई रचनाओं–'भक्त–व्यास' 'कबीर साहब की परचई' तथा नाभादास के 'भक्तमाल' से मिलता है। परंतु काल–गणना से यह भी केवल मनगढ़ंत घटना सिद्ध होती है क्योंकि रामानन्द का देहावसान संवत 1466 में हुआ था और तब कबीर की आयु केवल 12 वर्ष की हो सकती है। इतनी छोटी आयु में दीक्षा की बात विश्वसनीय नहीं लगती। इसके विपरीत मौलाना गुलाम सरवर ने अपने ग्रंथ 'खजीनतुल असफिया' में शेख तकी को उनका गुरु बताया है। 'कबीर बीजक' में भी एक पंक्ति है जिससे लगता है कि कबीर के गुरु शेख तकी ही थेः

ekfudiij dchj cljh]
engfr luh 'k[k rfd djhA

कबीर ने हृदय से भक्त तथा मनोवृति से सांसारिक माया जाल से विरक्त होते हुए भी अपना जीवन एक सद्ग्रहस्थ

के रूप में बिताया। वह संन्यासी या विरक्त साधू न बने; पारिवारिक जुलाहे का पेशा अपनाया; करघे पर वस्त्र बुनते रहे और वस्त्र बुनते–बुनते ही काव्य रचना करते रहे। उन्होंने विवाह किया, कुछ लोगों के अनुसार उनके एक नहीं अधिक पत्नियाँ थीं। उनकी पत्नियों के नाम भी बताये गये हैं– लोई, रमजनीया, धनिया। गुरुग्रंथ साहब में पंक्तियाँ हैं–

ejh cgfj;k dk /kfu;k ukmA
yk jkf[k;k jke tkfu;k ukmA

हो सकता है कि इस धनिया या रामजानिया से कबीर के स्वभाव का मेल न हो पाया हो और उन्होंने लोई नामक युवती से विवाह किया हो। पर अब कबीर को लोई का ही पति माना जाता है तथा कहा जाता है कि उससे उनके एक पुत्र कमाल तथा एक बेटी कमाली हुए। इस संबंध में एक पंक्ति भी है:

c<k o'k dchj dk] mitk iwr deky A

0;fDrRo

शरीराकृति की दृष्टि से कबीर का व्यक्तित्व प्रभावशाली, रौबीला या भव्य नहीं था। उनके जो चित्र प्राप्त हैं उनसे लगता है कि वह मँझले कद के, साधारण शरीर वाले व्यक्ति थे, उनका चेहरा लंबा था। वह अनपढ़ थे, उनकी पोथी–ज्ञान में आस्था भी नहीं थी, वह भक्ति को, प्राणी–मात्र के प्रति प्रेम को शास्त्र–ज्ञान से अधिक आवश्यक मानते थे:

iksFkh if<+&if<+ tx eqvk ifMr Hk;k u dks;
<kbZ vk[kj çse dk i<s+ lks ifMr gks;A

शास्त्र–ज्ञान से अधिक वह स्वानुभव तथा हृदय की उदारता तथा पवित्रता को महत्व देते थे–

rw dgrk dkxn dh ys[kh]
eS dgrk vk¡[kks dh ns[khA

उनके व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण था आत्म–विश्वास। उनके अन्य गुण–अक्खड़पन, फक्कड़ स्वभाव, निर्भयवृत्ति आदि इसी आत्मविश्वास के प्रतिफल थे। आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी लिखते हैं, "कबीर की घरफूंक मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का ही परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा।"

उनका हृदय अत्यंत कोमल, उदार और प्रेमल था। अपने इसी कोमल स्वभाव के कारण वह किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। प्राणिमात्र के प्रति उनके मन में दया तथा सुहानुभूति के भाव थे और अहिंसा को परम धर्म समझते थे।

cdjh ikrh [kkr gS rkfd dk<+h [kkyA
tks uj cdjh [kkr gS frudk dkSu gokyA

धन के प्रति आसक्ति उनके मन में लेश–मात्र भी न थी और कहा जाता है कि वह साधु–संतों के आतिथ्य में कोई कोर–कसर नहीं रखते थे। वह सबके शुभचिंतक थे–

dchjk [kM+k cktkj esa lcdh ekxsa [kSj

मोह–ममता से ऊपर उठ, सच बात कहने में तनिक भी संकोच न करते थे। सत्य के मार्ग पर चलने वाले कबीर की न किसी से दोस्ती थी और न किसी से बैर। अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोध वह निर्भय होकर करते थे। अतः सब उनसे रुष्ट थे, हिन्दू पंडित तथा मुसलमान मौलवी भी। अन्याय का विरोध करने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को प्रस्तुत रहते थे–

dchjk [kM+k cktkj esa fy, yqdkBh gkFkA
tks ?kj tkjs vkiuk] pys gekjs lkFk A

आत्मविश्वास से भरपूर निर्भय कबीर अक्खड़ भी कम न थे। आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी कहते हैं, "कबीर दास ने यह अक्खड़ता योगियों से विरासत में पायी थी।" इसीलिए रूढ़ियों, अंधविश्वासों, धर्माडंबरों, सामाजिक कुरीतियों की उन्होंने बड़े कठोर, निर्मम शब्दों में भर्त्सना की है तथा हिन्दू तथा मुसलमानों को फटकार लगायी है–

dfluh dgk fcxkfM+;k tks eqMs lks ckjA
eu dks dkfg u efM+, tkes fo"k;&fodkj

;k

dkdj ikFkj tksjh d s efLtn ybZ cuk;A
rk ij pf<+ eqYyk ckax ns] cgjk gvk [kqnk;A

इस प्रकार कबीर योग और भक्ति के संगम–स्थल थे। एक ओर उनमें योगियों की सी दृढ़ता तथा अक्खड़ता थी तथा दूसरी ओर भक्तों की–सी करुणा तथा परदुखकातरता। कबीर गृहस्थ–धर्म निभाहते हुए भी मन से विरक्त रहे। वह संसार की क्षणभंगुरता, शरीर की नश्वरता तथा धन–दौलत की झूठी शान से परिचित थे। अतः सदा राम–भक्ति में लीन रहते थे।

dg dchj ru >Bk Hkkb]
doy jke jg;k Y;k ykbA

करघे पर कपड़ा बुनते समय भी राम का गुण–गान करते थे, अपने बनाये पद गाते थे और कभी–कभी तो इतने तन्मय हो उठते थे कि कपड़ा बुनना भी भूल जाते थे–

ruuk cuuk rT;k dchjA
jke uke fyf[k fy;k ljhj

;k

tc yfx rkxk ckgk nghA
rc yfx fclj jke lugh

मीरा की तरह वह भी प्रेम–दीवाने थे। उनके विरह–संबंधी पदों तथा 'प्रेम–विरह की अंग' में संकलित सखियों से उनकी प्रिय–विरह की पीड़ा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वह विरह को 'सुल्तान' कहते हैं:

fcjgk cjgk er dgk fcjgk g lYrku

अन्यत्र भी उन्होंने कहा है–

geu g b'd eLrkuk] geu dk gkf'k;kjh D;k
jg vktkn ;k tx l geu nfu;k l ;kjh D;k
tk fcNM g fi;kj l] HkVdr nj&cnj fQjr
gekjk ;kj g gee] geu dk brtkjh D;kA

प्रेम–मार्ग में उनका अखंड विश्वास था।

dchj fut ?kj çe dk ekjx vkxe vxk/k
lhl mrkfj vxryh /kj rc fudV çe dk LoknA

vFkok

Hkxfr ngyh jke dh ufg dk;j dk dkeA
lhl mrkj gkfFk dfj lk yl gfj ukeA

कबीर स्वभाव से विद्रोही तथा क्रांतिकारी थे। उनका चिंतन तथा विचार एक क्रांति–दृष्टा जैसे थे। इसीलिए उन्होंने ऊंच–नीच जाति–भेद, सांप्रदायिक वैमनस्य, धर्माडंबर, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, तथा अंधविश्वासों का विरोध किया, हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए सतत प्रयास किया, विश्व–बंधुत्व की भावना का प्रचार किया और मानव–धर्म की दुहाई दी।

–frRo

कबीर के नाम से इतना अधिक लिखित तथा मौखिक साहित्य उपलब्ध है कि उनके विद्वानों द्वारा अनेक वर्षों तक अनुसंधान करने के बाद भी अंतिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वस्तुतः उनके द्वारा लिखा साहित्य कौन–सा और कितना है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथम तो अनपढ़ होने के कारण उन्होंने अपनी रचनाएँ स्वयं नहीं लिखीं। अतः उनकी स्वयं लिखी हुई कोई पाण्डुलिपि नहीं मिलती। दूसरे, जो उन्होंने बोला होगा वह उनके शिष्यों तथा भक्तों ने कितना सही लिखा होगा यह भी संदेहास्पद है। तीसरे, उनके नाम से अन्य लोगों ने अपनी कितनी रचनाएँ जोड़ दी हैं, यह भी निश्चय करना दुष्कर है।

कबीर–साहित्य के अनुसंधाता तथा मर्मज्ञ विद्वान डॉ पारस नाथ तिवारी ने अनेक वर्षों के परिश्रम के उपरांत कबीर के 1600 पद, 4500 साखियां, 134 रमैनियां प्राप्त कीं जिन्हें कबीर कृत कहा गया है। इस सामग्री का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने कहा कि इस विपुल सामग्री में से केवल 200 पद, 134 रमैनियां तथा 744 साखियों को कबीर की प्रामाणिक रचनाएँ माना जा सकता है। कबीर–साहित्य के अन्य विद्वानों डॉ पीतांबरदत बड़थ्वाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉ रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर की प्रामाणिक रचनाएँ केवल तीन हैं : कबीर ग्रंथावली (संपादक डॉ श्यामसुंदर दास) बीजक तथा सिक्खों के धर्म–ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में संकलित कबीर की रचनाएँ।

काव्यरूप की दृष्टि से उनकी रचनाओं के तीन रूप मिलते हैं–

1. साखीः इसमें दो पंक्तियां तथा चार चरण होते हैं। यह दोहे का ही रूप है।
2. पद या सबद ।
3. रमैनीः इसमें दोहा–चौपाई होती है। यह कबीर का मौलिक काव्य–रूप है। विषय की दृष्टि से उनके काव्य को दो वर्गों में रखा जा सकता है– आध्यात्मिक भाव–बोध प्रधान रचनाएँ तथा सामाजिक भाव–बोध प्रधान रचनाएँ। सबद, रमैनी तथा बहुत–सी साखियों का विषय भक्ति, अध्यात्म, दार्शनिक विचार तथा परम तत्व से विरह–मिलन है। साखियों में सामाजिक, धार्मिक बाह्याडंबर तथा कुरीतियों–रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है।

कबीर का एक काव्य–रूप है उलटबासियां। इनमें ऊपर से देखने पर असंगत बात कही गयी है, पर उनमें गूढ अर्थ छिपा है। उलटबासियां साखी के रूप में भी मिलती हैं

(जैसे कि नीचे दी गई है) तथा पदों के रूप में भी।

lenj ykxh vkx ufn;k tjy dk;yk HkbA
n[k dchjk tkfx iNh :[kk pf< xbA

सारांश यह है कि कबीर का व्यक्तित्व अद्भुत था। कबीर एक क्रांतिदृष्टा तथा क्रांतिधर्मा युग–पुरुष थे। आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ने उन्हें नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति कहा है

"कबीर नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भांति वे नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन–बिन्दु पर अवतीर्ण हुए थे। जहां एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व, जहां एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर से योगमार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर भक्तिमार्ग, जहां से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना, उसी प्रशस्त चौराहे पर वह खड़े थे।"

lekt&l/kkjd

काव्य कवि के बाह्य और भीतरी परिवेश के संपर्क से गढ़ी गई कला है। चिंतन और भावना द्वारा कवि अपने काव्य में समाज की अभिव्यक्ति करता है। साथ ही वह उसके संबंध में मानसिक एवं हार्दिक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। महात्मा कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे संक्रांति–युग में हुआ जब समाज महान संघर्षों के बीच से गुजर रहा था। हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक द्वेष और वैमनस्य के कारण आपस में लड़ते रहते थे। दोनों में ही बाह्याडंबर का बोलबाला था। धर्म के ठेकेदारों की संकीर्ण विचारधारा से समाज और धर्म में अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। कर्मकांड का आधिक्य था और तीर्थाटन, व्रत, उपवास आदि को ही धर्म का परम–तत्व माना जाता था। कर्मकांडी ब्राह्मण और मुल्ला–मौलवी, जो स्वयं तत्व–ज्ञान से अनभिज्ञ थे, जनता को ठग रहे थे। बौद्ध धर्म भी पतन के गर्त में गिर रहा था। हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय – शैव–शाक्त, नाथपंथी, तांत्रिक, जैनी, बौद्ध, वैष्णव, निर्गुणिया आदि बखेड़ा खड़ा कर रहे थे। वे सब दुराचरण में लीन थे अपनी–अपनी धुन में मस्त थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे।

कबीर सहज में आस्था रखने वाले मानवतावादी थे। किसी रूढ़ि और अंध–परम्परा से उनका लगाव न था। हृदय की स्वच्छ कसौटी पर विवेक की जो खरी लीक बनती, उसे ही वह सही मानते थे। उनके पास सत्य की शक्ति, सदाचरण का साहस और व्यंगयुक्त वाणी की तेज कटार थी। अतः धर्म के ठेकेदारों के कुकृत्यों को देख उनका हृदय ममार्हत हो उठा। उनकी मान्यता थी कि एक ही ईश्वर सबमें पर्याप्त है। अतः उन्होंने मध्ययुग के तमसाछन्न वातावरण में ज्ञान–सूर्य की रश्मियों द्वारा मानवता के मार्ग का निर्देशन किया। लगता है बाह्याडंबर के झाड़–झंखाड़ को उखाड़ फेंकने के लिए ही भगवान ने उनको भेजा था और उनके व्यक्तित्व में परस्पर–विरोधी गुणों का समावेश कर उन्हें नृसिंहावतार के रूप में आविर्भूत किया था जिससे युग की विकृतियां रूपी हिरण्यकश्यप विदीर्ण की जा सकें।

कुछ विद्वानों का अधिमत है कि कबीर मूलतः साधक थे, उनका समाज–सुधारक रूप गौण है। यह सत्य है कि कबीर मूलतः भक्त और साधक थे, पर वह जनता के सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्ति थे और समाज में व्याप्त बुराइयों के मात्र मूक प्रेक्षक नहीं थे। उन्होंने हिन्दू–मुसलमानों की भलाई–बुराई देखी, उनकी केवल आलोचना ही नहीं की, उन्हें मार्ग भी दिखाया। समाज–कल्याण कबीर वाणी की प्रेरणा बना।

हिन्दी में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नही हुआ। मानव–मात्र का कल्याण उनका लक्ष्य था। अतः उन्हें समाज–सुधारक कहने में कोई आपति नहीं होनी चाहिए। वह किसी मतवाद से नहीं बंधे थे। अतः उन्होंने निष्पक्ष होकर मिथ्या मार्ग पर चलने वालों को ठीक राह पर लाने का प्रयत्न किया और कहाः

vj bu nkmu jkb u ikb

जन्म के आधार पर भेद–भाव उन्हें अमान्य था। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों पर करारा व्यंग्य करते हुए उन्हें चुनौती दीः

tk rk czã.k czã.kh tk;kA
vkj jkg r dkg u vk;kA

कुल–अभिमान और अस्पृश्यता को वह अभिशाप मानते थे, अतएव उसका खंडन करते हुए उन्होंने धर्म के ठेकेदारों को ललकाराः

dkg dh dht ikM Nkrh fopkjkA
Nkrfg r mitk llkjkA

मिथ्याडंबर और बाह्याचार का विरोध कर कबीर ने पंडितों और मुल्लाओं की पोल–पट्टी खोलकर जनता के सामने उन्हें अनावृत कर दिया। कहीं वह व्रत–उपवास की खिल्ली उड़ाते हैं, तो कहीं मूर्ति–पूजा पर व्यंग्य करते हैं:

ikFkj i¨t¢ gfj fey¢ rk¢ e¨ i¨t¡ igkjA
rkr¢ rk¢ pkdh Hkyh ih l¢ [kk; l¡lkjA

गेरुवा वस्त्र पहनने, केश मुंडाने, माला फेरने और छापा–तिलक लगाने को मिथ्याचार बताते हुए वह उनसे बचने का उपदेश देते हैं।

ekyk rk¢ dj e¢ fQj¢ thHk fQj¢ e¨[k ekfgA
euok rk¢ ng¡ fnfl fQj¢ lk¢ rk¢ l¨feju ugh¡A

गंगा–स्नान और तीर्थाटन को व्यर्थ बताकर वह भगवद–भक्ति और साधु–संगति पर बल देते हैं :

eFkqjk tko¨ }kfjdk HkkoS tko¨ txUukFkA
lk/kq laxfr gfj Hkxfr fcu dNq u vko¨ gkFkA

हिंदुओं की भांति इस्लाम के ठेकेदारों ने भी मुस्लिम समाज में मिथ्या आचरण और मिथ्याडंबर को प्रश्रय दे रखा था जिससे वे लोग पथ–भ्रष्ट हो रहे थे। कबीर ने रोजा, नमाज, हिंसा, सुन्नत और कुरान पढ़ने वाले धर्म के ठेकेदारों पर निर्मम प्रहार किया:

fnu Hkj jkstk j[kr g¨ jkr gur g¨ xk; A

इसी प्रकार नमाज पढ़ने की हंसी उड़ाते हुए उन्होंने कहा:

efLtn Hkhrj eYyk i¨dkj¢
D;k lkfgc rqjk cgjk g¨A

वह हज करने से अधिक हृदय को पवित्र बनाने पर बल देते हैं।:

l¨[k lcjh ckfgjk dk gt dkcs tk;A
ftudk fny L;kcr ugh frudk dgk [kqnk;A

कबीर के व्यंग्य तीखे हैं, पर सर्वत्र उनकी वाणी के पीछे सत्य की निष्ठा और संत–हृदय की सहानुभूति है। वह जानते थे की धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बड़ा उत्पात मचा हुआ है। अतः उन्होंने साधु की व्याख्या करते हुए कहा:

lk/kq ,slk pkfg, tSlk lwi lqHkk;A
lkj&lkj dk¨ xfg jg¨ FkkFkk n¢; mMk;A A

ईश्वर सबका है, वह भेद–भाव से परे है, इसका उद्‌घोष करते हुए उन्होंने सबको भगवान की शरण में जाने का उद्‌बोधन दिया:

tkfr&ikfr iwN¢ ufg dk¨b]
gfj dk¨ Hkt¢ l¨ gfj dk g¨bA

कबीर ने खंडनात्मक शैली में जो कुछ कहा उसमें मानवता की पुकार है। इसीलिए जीवन की सरलता, हृदय की निष्कपटता, मन की शुद्धता और नैतिक संयम उनके सामाजिक सुधारों का प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने सर्वत्र शुद्धाचरण पर बल दिया। आचार्य दिवेदी का कथन है:

"उन्होंने रोग का ठीक निदान किया या नहीं इसमें दो मत हो सकते हैं पर औषधिनिर्वाचन में उन्होंने बिलकुल गलती नहीं की। यह औषधि है भगवद्–विश्वास"।

शूद्रों और दलितों में आत्म–विश्वास जगाने वाले महात्माओं में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। उनका मत जिस प्रेम–रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुड़ से तैयार की गई थी। इसलिए अंध श्रद्धा, भावुकता और हिस्टरीक प्रेमोन्माद का उनमें एकांत अभाव था। उनके विचार क्रांतिकारी थे, उन्हें क्रांतिकारी लोक–कवि कहना उचित है।

आज भी भारतीय समाज में दंभ, पाखंड, छल–छदम, कपट, मिथ्याचरण का बोलबाला है। समता और मानव–एकता की विरोधी शक्तियाँ आज भी सक्रिय है। वर्ण–भेद और हिंसा को आज भी हम गले लगाए हुए हैं। आज की परिस्थितियाँ कबीर के युग की परिस्थितियाँ से कम जटिल नहीं हैं। हिन्दू–मुस्लिम वैमनस्य भी भले ही बाहर से प्रकट न हो रहा हो, भीतर ही भीतर सुलग रहा है। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा समाज की विकृतियों का विरोध किया था, उन्हें जड़मूल से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। वह समाज की एकता के पुजारी और मानव–अखंडता के सच्चे प्रहरी थे। व्यक्त और अव्यक्त के बीच जो भ्रम–भेद हैं, उन्होंने उस पर आघात किया, सामाजिक भेद–भाव की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया और हिन्दू–मुसलमान में प्रेम की वह सुदृढ़ आधार–शिला रखी जिस पर आज की धर्म–निरपेक्ष नीति का प्रासाद खड़ा हैं। समाजवाद का जो नारा आज वातावरण में सर्वत्र गूंज रहा है और जिसे लाने के लिए हर भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, कबीर उस समाजवाद के सशक्त पक्षधर थे। यह ठीक है कि उनके समाजवाद में ईश्वर–भक्ति और धर्म का निषेध नहीं है, परंतु जिस साम्य की उन्होंने प्रतिष्ठा की है वह अधिक सुदृढ़ है। उनका धर्म मानव धर्म है जिसमें मनुष्य–मनुष्य की समता, मानव एकता और सत्य को पूरी तरह प्रतिष्ठित किया गया है। शक्ति और सत्ता के मद से चूर मानव को सतर्क करते हुए वह निर्बल के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं:

fucZy dk¨ u lrkb;s tkdh eksVh gk; A
eqbZ [kky dh lkl l¨ yksg Hkle gks tk; A

संसार की नश्वरता, शरीर की क्षण भंगुरता और आत्मा की अमरता दिखलाकर कबीर कहीं भय दिखाकर, कहीं भर्त्सना करके और कहीं भक्ति द्वारा जब मानव को सन्मार्ग पर चलने का परामर्श देते हैं तो आज का पाठक भी उनकी बात को ध्यान से सुनने और उनके बताये पद–चिन्हों पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। देश की वर्तमान स्थिति में उनकी वाणी की यही सार्थकता है। मनुष्य की आत्मा की निर्मलता, परस्पर सौहार्द्र एवं सद्भाव, सात्विक विचार, अहंकार से मुक्ति, जीव–मात्र पर दया, ये सब नवमानवतावाद के ही विचार–बिन्दु हैं, जिनकी प्रतिष्ठा कबीर के काव्य में हुई है।

मेरा भी है अधिकार

बीरेन्द्र सिंह रावत*

करवाती है माँ लिंग–परीक्षण, जानूँ बेटा है या बेटी,
पसंद का अगर न हुआ भ्रूण, तो कर देती है नजर टेढ़ी।
फिर सोचती नहीं इक पल भी, कर रही हूँ कितना अनर्थ,
कुरीतियों से बंधे रहकर, भ्रूण हत्या करने का क्या है अर्थ।
हे माँ! यदि सुविधा के लिए, लिंग परीक्षण तेरा है अधिकार,
तो गर्भ में पल रहा भ्रूण मैं, जन्म लेना मेरा भी है अधिकार।

कूड़ा बीनते–बीनते देखते हम, हमउम्र बच्चों को थामे बैग,
वे जाएँ हँसी–खुशी स्कूल अपने, और हम चुनते रहते हैं रैग।
वे सीखें क, ख, ग, ए, बी, सी, कई तरह के नवाचारों से,
कूड़ा करते साफ हम अरु, क्षुब्ध होते समाज के अत्याचारों से।
सरकार द्वारा जब बनाया गया है शिक्षा का अधिकार,
तो अन्य सब बच्चों की तरह, शिक्षा पाना मेरा भी है अधिकार।

भेद न किया जब प्रभु ने कभी, दिये सबको समान अंग,
फिर क्यों समाज है निर्दयी कि, ढूँढता है जाति, धर्म अरु रंग।
ऊँच–नीच की लड़ाई की, भेंट चढ़ता है भोला बचपन,
विभिन्न तरह के अत्याचारों से, दुश्वार होता जाता है जीवन।
संविधान द्वारा जब दिया गया, है समता का अधिकार,
तो लोक नियोजन में अवसर की समता मेरा भी है अधिकार।

भारतीय संविधान का 23 है, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद,
मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, का करता है यह प्रतिषेध।
होश संभालते ही सामना, करते हैं हम हर शोषण का,
तंगहाली होती ही इतनी है कि, ख्याल न हो पाता पोषण का।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, दिया गया है अधिकार,
तो आदर्श समाज में सभ्य जीवन, जीना मेरा भी है अधिकार।

* *वरिष्ठ अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

सुधा सिंधु

डॉ. संजय उपाधयाय*

- मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली–भांति परिचित रहता है, पर उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। – जयशंकर प्रसाद
- मैं बगुले को निशाना बनाने के बजाय उसे उड़ते देखना चाहता हूं और बुलबुल को खा लेने के बजाय उसे गाते हुए सुनना चाहता हूं। – रस्किन
- वही कार्य करना ठीक है, जिसे करके पछतावा न हो और जिसके फल को व्यक्ति प्रसन्न मन से भोग सके। – गौतम बुद्ध
- आयु शरीर से अधिक मन की अवस्था है अगर हमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं होती है तो जीवन की आयु कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। – मार्क ट्वेन
- अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है, जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। – विवेकानंद
- सम्पूर्ण संसार को एकता के सूत्र में बांधने वाली योजनाएं बनाना सरल है, लेकिन अपने हृदय में रहने वाले क्रोध पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। – विनोबा भावे
- कर्तव्य की पूर्ति का पुरस्कार है, दूसरे कर्तव्य को पूरा करने की योग्यता। – जॉर्ज इलियट
- सोच–विचार कर ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की बुराई उसे उसके मरने के बाद तक कलंकित करती रहती है, जबकि अच्छाइयों को लोग प्रायः मरने के कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं। – शेक्सपियर
- बुरा व्यक्ति उस समय और भी बुरा हो जाता है, जब वह अच्छा होने का ढोंग रचता है। – फ्रांसिस बेकन
- मूर्ख का मस्तिष्क दर्शन को भूल में, विज्ञान को अंधविश्वास में और कला को पांडित्य में हजम कर लेता है। – बर्नार्ड शॉ
- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे मैं मिलता हूं, किसी न किसी बात में मुझसे बढ़ कर है। वही मैं उससे सीखता हूं। – एमर्सन
- हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है और सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक और बार प्रयास करना है। – थॉमस एडिसन
- गरीब वह इंसान है, जो स्वयं को गरीब मानता है अर्थात वास्तविक गरीबी स्वयं को गरीब समझने में है। – एमर्सन
- हजारों मील की यात्रा भी एक कदम के साथ ही शुरू होती है। – लाओत्से
- वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। – प्रेमचंद
- गलती हर व्यक्ति कर सकता है लेकिन उस पर केवल मूर्ख ही अड़े रहते हैं। – सिसरो
- विजय आवश्यक नहीं है, लेकिन सत्यपरायण होना मेरे लिए आवश्यक है। सफलता आवश्यक नहीं है, जो प्रकाश मुझे प्राप्त है, उसका अनुकरण मेरे लिए आवश्यक है। – अब्राहम लिंकन
- जातियों में विभक्त होना, भारत के मस्तक का कलंक है। – सुमित्रानंदन पंत
- परिश्रम और संयम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। परिश्रम से भूख तेज होती है और संयम अधिक भोग से रोकता है। – रूसो
- बाधाएँ, वे डरावनी चीजें हैं जिन्हें आप तभी देखते हैं जब आप लक्ष्य से अपनी नज़र हटा लेते है। – हेनरी फोर्ड
- दोस्ती धीरे–धीरे पैदा करो, लेकिन जब कर लो, तो उस पर दृढ़ और अचल रहो। – सुकरात

*फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा विभिन्न स्रोतों से संकलित

- ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर निहित हैं और ये हम ही हैं जो अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर अंधकार होने का रोना रोते हैं। – विवेकानंद
- आँखों के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को कोई भी स्वयं से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। – चाणक्य
- यदि मनुष्य सीखना चाहे तो प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है। – चार्ल्स डिकिंस
- नरक में सबसे खराब जगह उन लोगों के लिए है जो नैतिक संकट के दौर में तटस्थ रहते हैं। – दांते
- ज्ञान जब इतना घमंडी बन जाए कि वह रो न सके, इतना गंभीर बन जाए कि हंस न सके और इतना आत्मकेंद्रित बन जाए कि अपने सिवा और किसी की चिंता न करे तो वह अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। – खलील जिब्रान
- गहरी नदी में जल का प्रवाह बेहद शांत और गंभीर होता है। – शेक्सपियर
- यदि लोग हमारे बारे में कुछ उल्टी–सीधी बातें करते हैं तो हमें उसी तरह बुरा नहीं मानना चाहिए, जिस तरह गिरजाघर की मीनारें अपने इर्द–गिर्द चीलों के चीखने का खयाल नहीं करतीं। – इलियट
- अपनी पहली सफलता के बाद आराम न करें क्योंकि अगर आप दूसरे प्रयास में नाकाम हो जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि पहली सफलता आपको भाग्य से मिली थी। – ए पी जे अब्दुल कलाम
- सर्वोत्तम बदला क्षमा कर देना है। – रवीन्द्रनाथ ठाकुर
- अनुभव एक रत्न है और इसे ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यह प्रायः अत्यधिक मूल्य में खरीदा जाता है। – शेक्सपियर
- चरित्र एक वृक्ष और मन एक छाया है। हम हमेशा छाया की सोचते हैं लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है। – अब्राहम लिंकन
- दुनिया में किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी–सी सहायता, ढेरों उपदेशों से कहीं अधिक अच्छी है। – बुलवर लिटन
- शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान नहीं, कर्म है। – हरबर्ट स्पेंसर
- यदि कोई महत्ता की खोज करता है तो उसे चाहिए कि महत्ता को भूल जाए और सच्चाई की मांग करे। वह दोनों पा जाएगा। – होरेस मान
- सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे व्यक्ति को यह याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किससे, कब, कहाँ और क्या कहा था। – रॉबर्ट बेन्स
- विचार की स्वतन्त्रता की शक्ति के बिना मानवता का काम चल ही नहीं सकता। – रोम्यां रोलां
- धर्म केवल लोगों की सेवा में है, माला फेरने या पूजा करने में नहीं। – शेख सादी
- वास्तव में महान पुरूष वही है जो न किसी का शासन मानता है और न किसी पर शासन करता है। – खलील जिब्रान
- ज्ञान अभिमानी होता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया, जब कि बुद्धि विनम्र होती है कि वह अधिक कुछ नहीं जानती। – काउपर
- जिस प्रकार सुबह दिन का द्योतक होता है उसी प्रकार शैशव भी मनुष्य का परिचायक होता है। – मिल्टन
- कभी–कभी उन लोगों से भी शिक्षा मिलती है, जिन्हें हम अज्ञानी समझते हैं। – प्रेमचंद
- अगर सम्मान के साथ शांति नहीं रह सकती, तो वह शांति नहीं कही जा सकती। – लार्ड रसेल
- विज्ञान का यह एक नियम है कि चीजें समुद्र में डूब कर खास गहराई से नीचे नहीं जा सकतीं, लेकिन नीचता के समुद्र में जितना गहरे जाएं, उतना ही डूबना आसान है। – लॉवेल
- जिसने विद्या पढ़ी और उस पर आचरण नहीं किया, यह ठीक वैसे ही है, जैसे कि किसी ने खेत जोता और बीज नहीं बिखेरे। – शेख सादी

- जो दूसरों को जानता है, वह विद्वान है और जो खुद को जानता है, वह ज्ञानी है। – लाओत्से
- सफल इंसान बनने की कोशिश के बजाय सिद्धांतों वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। – अल्बर्ट आइंस्टीन
- किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे न पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। ऐसा इसलिए कि सही सम्मान योग्यता में है न कि उसे किसी से पाने में। – मार्क ट्वेन
- कठिनाइयों में सिद्धांतों की परीक्षा होती है। बिना मुसीबतों में पड़े व्यक्ति नहीं जान सकता कि वह ईमानदार है या नहीं। – फील्डिंग
- अनपढ़ लोग हमारे समाज की समस्या नहीं हैं। जब पढ़े–लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और उसे सही दिखाने के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं, वह हमारे समाज की समस्या है। – डॉ बीआर आंबेडकर
- सिर्फ विश्वास हमारा ऐसा संबल है जो मंजिल तक पहुंचाता है। – स्वेट मार्डेन
- नदी अपने उद्गम स्थान पर हमेशा अधिक पवित्र होती है। – पास्कल
- प्रसन्नता की आकांक्षा एक प्राकृतिक नियम है जो कि स्थानीय न हो कर सार्वभौमिक तथा अस्थाई न हो कर शाश्वत है। – होरेस मान
- जहां उदारता, सहिष्णुता और सत्य होता है वहां मतभेद भी लाभदायक सिद्ध होता है। – महात्मा गांधी
- मुझे ऐसी हर चीज से नफरत है जो सत्य से विमुख है। अच्छाई की ओर मनुष्य अच्छाई के तरीके से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं। – पास्तरनाक
- छोटे के साथ अच्छा व्यवहार करके बड़ा व्यक्ति बड़प्पन को प्रकट करता है। – कार्लाइल
- सब धोखों में पहला और सबसे खराब है, अपने को धोखा देना। – वेली
- यदि मन पवित्र है, तो तीर्थ–यात्रा का फल घर में प्राप्त हो जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती।– संत रैदास
- इतिहास के अनुभवों से हम पाठ नहीं पढ़ लेते, इसी से इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। – विनोबा भावे
- एक निराशावादी व्यक्ति को हर पल मुश्किल ही दिखाई देती है लेकिन इसके विपरीत आशावादी को हर पल हर मुश्किल में एक अवसर दिखाई देता है। – विंस्टन चर्चिल
- अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो उसे लक्ष्य से बांधो न कि लोगों और चीजों से। – अल्बर्ट आइंस्टीन
- सामग्री द्वारा नहीं, बल्कि नैतिकता के बल द्वारा मनुष्य और उनके कर्मों पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। – कार्लाइल
- चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आपके कान उसे अमृत समझ कर पी न जाएँ। – प्रेमचंद
- सज्जन पुरुष बिना कहे दूसरों की आशा पूरी कर देते हैं, जैसे सूर्य स्वयं ही घर–घर जाकर प्रकाश फैला देता है। – कालिदास
- जुगनू तब तक ही चमकता है, जब तक उड़ता है। यही हाल मन का है। जब हम रुक जाते हैं, तो अंधकार में डूब जाते हैं। – वेली
- अगर आदमी परोपकारी नहीं है, तो उसमें और दीवार पर बने चित्र में क्या फर्क है। – शेख सादी
- दूसरों के उपकार को भूलना उचित नहीं होता, पर दूसरों पर उपकार कर के उसे उसी समय भूल जाना उचित है। – तिरुवल्लूवर
- मनुष्य को अंधविश्वास से पैदा हुई नैतिकता से मुक्त होना चाहिए। – बर्टेंड रसेल

जीवन चलने का नाम

डॉ. एलीना सामंतराय*

जीवन चलता रहता है, चलता ही रहता है,
करते हो आप कठिन परिश्रम, काम और कभी हो जाते हो हताश
इस छोटे से सफर में, जिसका नाम है ज़िंदगी
मिलते हो संयोग से कई लोगों से, कई अच्छे और कई बुरे, कई सही और कई गलत,
कई करते हैं आपका खयाल, कई प्यार, और कई करवाते हैं आपको महसूस विशेष

कई करते हैं घृणा, कई उपहास, कई देते हैं आदेश
और कई करवाते हैं महसूस जैसे आप और कुछ नहीं केवल हो एक निकृष्ट प्राणी
कुछ करते हैं विश्वासघात, होते हैं असुरक्षित, करते हैं ईर्ष्या,
और मानो लेते हैं कई जन्मों का बदला
पर यह तो सब जीवन के इस खेल का होता है एक भाग
क्योंकि जीवन चलता है, चलता ही रहता है
और चलने का नाम है जीवन।

जब कभी कोई होता है हताश, दुखी, और अवसादग्रस्त
और ढूंदता है संवेदना, प्यार और थोड़ी सी परवाह
तब ईश्वर द्वारा भेजी गयी पवित्र आत्माएँ आती हैं उत्साह और आनंद के साथ
और मनाती हैं खुशियाँ, करती हैं आनंदित,
और लौटाती हैं उस खोई हुई शक्ति को
बढ़ाती हैं हौसला, और करती हैं जीवन का पुनर्निर्माण
देती हैं जैसे इक नया जीवन दान
मानो इन ईश्वरीय बंदों के लिए,
जीवन का एक नया उद्देश्य सामने आ गया हो
और इनके साथ पावन मन नयी ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद में
अगत पथ पर चल पड़ता है
जीवन चलता रहता है, चलता ही रहता है

प्रचुर ऊर्जा के साथ
और इस निडर भरोसे के साथ
जीवन चलता रहता है, चलता ही रहता है,
नयी उम्मीद और नयी रोशनी के साथ
जीवन चलता रहता है, चलता ही रहता है
क्योंकि जीवन चलने का नाम है
जीवन चलने का नाम।

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी

राजेश कुमार कर्ण*

राजनीति के अजातशत्रु श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन संघर्षों की गाथा है। उन्होंने संघर्षों को स्वीकारा और विजय पाई। उनका जन्म 25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। अटलजी के नाम से प्रसिद्ध वाजपेयी जी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालय में हुई थी। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज (वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज) से स्नातक एवं कानपुर के डी.ए.वी. कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर सके।

अटलजी अपने आरंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए थे। वे आर्य कुमार सभा के सक्रिय सदस्य रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। 1946 में आरएसएस ने उन्हें संघ प्रचारक बनाकर संडीला शहर भेज दिया। उनकी प्रतिभा से प्रेरित होकर आरएसएस ने उन्हें लखनऊ से प्रकाशित 'राष्ट्रधर्म' पत्रिका का संपादक बना दिया। फिर आरएसएस ने अपना मुख–पत्र पांचजन्य प्रारम्भ किया और अटल जी उसके प्रथम सम्पादक बनाये गए। बाद के वर्षों में उन्होंने वाराणसी से प्रकाशित 'चेतना', लखनऊ से प्रकाशित 'दैनिक स्वदेश' और दिल्ली से प्रकाशित 'वीर अर्जुन' जैसे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्र–पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक सम्पादन किया।

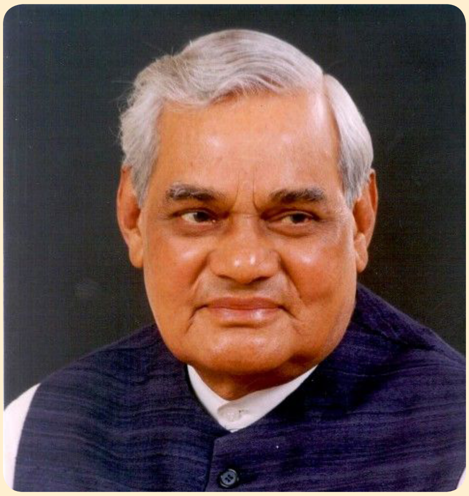

उनकी क्षमताओं, बौद्धिक कुशलता, कविता और वाक पटुता को देखते हुए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं का ध्यान उनकी ओर गया। वे वर्ष 1951 में बनी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर वे इसके संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव बन गए।

23 जून, 1953 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का भार अटलजी पर आ पड़ा जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अपने मार्गदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद का संदेश देश भर में फैलाते हुए वाजपेयी जी ने स्वतंत्र भारत के सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफलता पाई। धीरे–धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, परिणामस्वरूप उन्होंने दस बार लोकसभा– 1957 एवं 1967 में बलरामपुर, 1971 में ग्वालियर, 1977 और 1980 में नई दिल्ली, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में लखनऊ संसदीय सीट पर विजय प्राप्त की और दो बार राज्यसभा (1962–1967 तथा 1986–1989 तक) के सदस्य चुने गए।

अटल जी 1957 से 1977 तक भारतीय जनसंघ के संसदीय दल के नेता, 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, 1977 में जनता पाटी के संस्थापक सदस्यों में से एक और 1980 में जनता पाटी के विभाजन के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने 1974 में घोषित आपातकाल का पुरजोर विरोध किया एवं जनसंघ के जनता पार्टी में विलय के काम में मुख्य भूमिका निभाई। 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था किंतु श्रीमती गांधी ने 1974 में जब आपातकाल लगाकर लोकतंत्र पर जो दाग लगाया था उसको मिटाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास को देश हमेशा याद रखेगा। 1942 और 1977 में जेल की दीवारें भी अपने में दबाकर उन्हें बदल न सकीं। उनकी कुशाग्रता और सत्यनिष्ठा के सामने वे भी बौनी बन गई।

* स्टेनो असिस्टेंट, ग्रेड–II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें वे विदेश मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की पहल कर सबको आकर्षित किया। उन्होंने जनता पार्टी को एकजुट रखने और सरकार को बचाए रखने की भरपूर कोशिश किया लेकिन सब बेकार गया। जब पूर्व जनसंघ के नेताओं के साथ उन्हें भी विवादास्पद 'दोहरी नागरिकता' के मुद्दे पर पार्टी छोड़ने को मजबूर किया गया तो उन्होंने 1980 में नई राजनीतिक पार्टी 'भारतीय जनता पार्टी' (भाजपा) बनाई। इसके संस्थापक अध्यक्ष अटलजी ने काव्यमय भविष्यवाणी की थी ''अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा'' जो सच निकली। 1984 में दो सांसदों वाली भाजपा को उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के उल्लेखनीय सहयोग से 1989 में 89, 1991 में 120, 1996 में 161, 1998 में 182 एवं 1999 में 183 तक पहुंचा दिया।

अटल जी 1996 से 2004 के दौरान तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वे पहली बार प्रधानमंत्री बने किंतु संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाने के चलते उनकी सरकार 13 दिनों में गिर गई। 1980 में उनके द्वारा स्थापित भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता रहा। किंतु 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः ज्यादा सीटें मिलीं और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से अटलजी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का गठन किया और वे फिर प्रधानमंत्री बने। भाजपा अटलजी के नेतृत्व में अचानक अछूत से सर्व स्वीकार्य बनी। आजादी के बाद से यही माना जाता रहा कि केन्द्र में कांग्रेस का कोई विकल्प है ही नहीं। अटलजी ने इस विकल्पहीनता को तोड़ा और बताया कि विकल्प है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन वाली राजग सरकार का नेतृत्व किया और उन्होंने बड़ी बुद्धिमता, खूबसूरती और संजीदगी के साथ इसे संभाला और घटक दलों को कोई शिकायत नहीं हुई। भाजपा 24 दलों का नेतृत्व कर देश की राजनीति में कांग्रेस विरोध की धुरी बन गई। यह सरकार 13 महीनों तक ही चली, बीच में ही जयललिता की पार्टी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया जिसके चलते सरकार गिर गई। किंतु प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने न कोई कुटिल राजनीति खेली, न कोई दल–बदल करवाया, न रथ यात्राएं की, न ही कोई आंदोलन चलाया। लगता था, जैसे उनका चुंबकीय व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर खींचता था, वैसे ही यह पद भी उनकी ओर अपने आप खींचा चला आया। उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने जोड़–तोड़ के बजाए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस्तीफा दे दिया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि ''पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा।'' इससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुई। वह अपने नाम के समान जीवर भर इन आदर्शों–मूल्यों पर अटल रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अटलजी के बारे में ठीक ही लिखा है कि ''हार और जीत उनके मन पर असर नहीं करती थी। सरकार बनी तो भी, सरकार एक वोट से गिरा दी गयी तो भी, उनके स्वरों में पराजय को भी विजय के ऐसे गगन भेदी विश्वास में बदलने की ताकत थी कि जीतने वाला ही हार मान बैठे।'' 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और राजग के अंतर्गत उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया।

भाजपा की विचारधारा के बारे में जो गलत धारणाएं फैलायी गईं थीं, अटलजी की सरकार बनने के बाद वह सब टूट गयीं। अटलजी ने अपने शासनकाल में अपने आचरण से और नीतियों से भाजपा पर लगे उन तीनों मुख्य आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, मुसलमानों के खिलाफ है और इसकी आर्थिक नीतियां गरीबों के हक में नहीं है। अटलजी कहा करते थे कि इस देश में आजादी के पहले जिस तरह से मुसलमान रहते आए थे, ठीक उसी तरह आगे भी वे रहेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वह उन गिने चुने हिंदूवादी नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की निंदा की। 2002

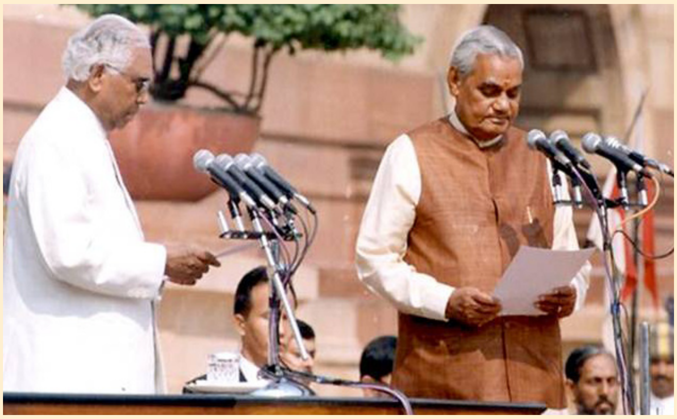

में गोधरा कांड के खिलाफ जब गुजरात में दंगे फैल गए तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को असरदार फटकार लगाई और उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए कहा था। उन्होंने देश को धर्म निरपेक्षता की राह दिखाई, भयभीतों को निर्भयता का पाठ पढ़ाया एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ संकल्पता दिखाई। वे आमराय कायम करने में यकीन करते थे। संकीर्ण मानसिकता से मुक्त वे सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रेरित होकर सामाजिक समरसता के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करते थे। आज धर्मनिरपेक्षता पर जोर देने वाले व्यक्ति को छद्म धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक समुदायों के वकील के तौर पर निंदा की जाती है। लेकिन अटलजी दृढ़ता से मानते थे कि भारत धर्मनिरपेक्षता के बिना जीवित नहीं रह सकता।

स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त, सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व है। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। पोखरण देश के लिए जरूरी था तो चिंता नहीं की प्रतिबंधों एवं आलोचनाओं की, क्योंकि 'इंडिया फर्स्ट' उनके जीवन का ध्येय था। बिना किसी के दबाव में आए निडर होकर उन्होंने 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण कर भारत को सामरिक रूप से सक्षम बनाया। वे मानते थे कि अगर भारत को महानता हासिल करनी है तो उसे सैन्य रूप से भी शक्तिशाली होना पड़ेगा, हमें रक्षा में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम अपनी रक्षा को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि वह आएगा और मदद करेगा। इस परमाणु परीक्षण के विरोध में अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने इसका निडरता एवं चतुराई से सामना किया और साल 2000 में अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के पहले दौरे पर आए। उन्होंने न सिर्फ करोड़ों भारतीयों में आत्म–विश्वास जागृत किया बल्कि विज्ञान को देश की प्राथमिकताओं में शामिल किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे 'जय जवान, जय किसान' में जय विज्ञान को जोड़ा और इस नारे को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदार कोशिश भी की। इसरो की प्रगति, परमाणु ऊर्जा विभाग और डीआरडीओ में बड़ा बदलाव अटलजी की कोशिश का ही नतीजा था। आज हम अगर मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं तो इसकी बड़ी वजह उनके कार्यकाल में कल्पना सेटेलाइट का सफल प्रक्षेपण था।

भारत में जन वितरण प्रणाली का लाभ प्रायः समृद्ध लोग ही उठाते थे और वंचित लोगों को भूखे छोड़ दिया जाता था। दिसंबर 2000 में अटलजी ने दीनदयाल उपाध्याय के मानव धर्म की अवधारणा से प्रेरित होकर अति निर्धन व्यक्तियों को 35 किलो अनाज देने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की घोषणा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विचार इसी कार्यक्रम से ही पैदा हुआ। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार ने बीटी कपास के

बीजों को मंजूरी दी, चीनी के मूल्यों का विनियंत्रण किया, डेयरी विकास को प्रोत्साहन दिया, कानकुन में हुई विश्व व्यापार संगठन की बैठक में किसानों के लिए उचित मूल्य का नेतृत्व किया। किसान क्रेडिट कार्ड का विचार भी उन्हीं के कार्यकाल में आया। नदियों को जोड़ने का विचार उन्हीं का था। अटलजी अंतिम व्यक्ति की गरीबी को दूर करने के लिए बेहद चिंतित रहते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और गांधी चिंतन में उनकी गहरी श्रद्धा थी इसलिए भाजपा निर्माण के बाद उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया।

देश में प्रक्रियाओं का अधिकाधिक सरलीकरण, कनेक्टिविटी, हर गांव तक सड़क, देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान तथा नदी जोड़ो परियोजना जैसी जनकल्याणकारी परियोजनाओं आदि राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्पों से जुड़ा था। उनके लिए राजनीति लोगों को सेवा, विकास और समृद्धि से जोड़ने के लिए था। सभी गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए उन्होंने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की। तब से देश में इस योजना के तहत 5.5 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। इस योजना से गांव तक विकास पहुंचता दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अनेकों अवसर सृजित हुए हैं। उत्तर और दक्षिण तथा पूरब और पश्चिम को राजमार्ग से जोड़ने के लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में की जो भारत के मुख्य शहरों– दिल्ली, कानपुर, कोलकता, मुंबई, चेन्नै, भुवनेश्वर, जयपुर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, विजयवाड़ा विशाखापत्तनम, बेंगलुरु आदि के बीच परिवहन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अटलजी ने जिन क्षेत्रों पर खास फोकस किया, उनमें से एक टेलीकॉम क्षेत्र भी था। 1998 में मोबाईल फोन करने की दर (16 रुपए प्रति मिनट) काफी खर्चीली थी। दूरसंचार कंपनियों ने टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अवास्तविक रकम की बोली लगाई थी, कई कंपनियां भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही थीं और कई दिवालिया होने के कगार पर थीं। अटल जी ने उच्च लाइसेंस फी से कमाई के अनुसार राजस्व साझा करने का नया मॉडल अपनाकर दूरसंचार कंपनियों को सक्षम बनाया और टेलीकॉम क्षेत्र में फिर से अपनी बादशाहत कायम की। उन्होंने बीएसएनल और एमटीएनएल को कॉर्पोरेट बनाया जिसने निजी कंपनियों को कॉल दरों में भारी कटौती के लिए मजबूर कर दिया। उनके इस कदम ने जहां फोन कॉल की दर घटाई, वहीं दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी प्रेरित किया, इससे करोड़ों उपभोक्ता लाभान्वित हुए। उनकी नीति का अंतर्निहित सिद्धांत था कि जब प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, तो सरकार को उसे सक्षम बनाने वाला होना चाहिए, न कि मुनाफा कमाने वाला।

अटलजी ने आर्थिक उदारीकरण, उत्पादकता एवं सुधार की प्रक्रिया को बढ़ाया। उन्होंने विनिवेश मंत्रालय का गठन किया। उनके कार्यकाल में बाल्को, बीएसएनएल, सीएमसी, आईपीसीएल, हिंदुस्तान जिंक लि., मॉडर्न फूड और होटलों को मिलाकर कुल 16 उपक्रमों का विनिवेश किया गया। विपक्षी दलों एवं ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया। लोकसभा में इस मुद्दे पर वोट हुआ जिसमें वे विजयी हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाल्को में विनिवेश की एक–एक बात को सही ठहराया। न तो उससे पहले और न ही उनके बाद किसी सरकार में सरकार को कारोबार से बाहर करने का साहस था। उनके कार्यकाल में ही भारत ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई खोला जिसने भावी सरकारों को फसल बीमा के लिए कार्यक्रम तैयार करने और गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने में सक्षम बनाया तथा करोड़ों रोजगार का सृजन किया। अटलजी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला, तब दुनिया एशियाई आर्थिक संकट से जूझ रही थी इसके बावजूद 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की नींव अटलजी की अनूठी अटल नीति द्वारा ही रखी गई। उनके कार्यकाल में भारत में महंगाई निम्नतर स्तर पर रही एवं विकास दर में अपेक्षित वृद्धि (8 प्रतिशत से अधिक) हुई। इस प्रकार, उन्होंने आज के भारत को गढ़ने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। बिना किसी वाद–विवाद के सन 2000 में तीन नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के गठन का श्रेय भी उनकी सरकार को ही है।

अटलजी के व्यक्तित्व की कुछ ऐसी खूबियां थीं, जो उन्हें अपने समकालीन राजनेताओं की भीड़ से अलग करती थीं। सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि उन्हें दलगत वैचारिकी के किसी संकीर्ण खांचे में नहीं फिट किया जा सकता। उनके पास एक राष्ट्रीय नजरिया था और उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत को जोड़ने की जरूरत को बखूबी समझा। आर्थिक सुधारों को रफ्तार देने के लिए उन्हें काफी आंतरिक प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने निरंतर बदलाव, सुधार, उत्पादकता और उदारीकरण का समर्थन किया। आर्थिक सुधारों को विस्तार देना और भारत को नेतृत्व की हैसियत में पहुंचाना हमेशा ही उनका

मकसद था। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति, मोबाइल टेलीफोन को सस्ता बनाकर घर–घर पहुंचाना, भारत के ओर–छोर को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जोड़ना और हथियारों के मामले में भारत को अधिक सैन्य सक्षम बनाना अटलजी की वीरता एवं विकास केन्द्रित नीति के शानदार परिचय हैं।

वह संसद में तथ्यों एवं आंकड़ों को बेहतरीन तरीके से पेश करते थे। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जब संसद में दिल्ली सेल्स टैक्स बिल पेश किया तो अटलजी (उस समय नई दिल्ली से सांसद) ने तर्क दिया कि केन्द्रशासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जहां पड़ोसी राज्यों को सेल्स टैक्स लगाने की छूट है, वहीं दिल्ली को यह आजादी नहीं है। आखिरकार, कांग्रेस सरकार इस पर सहमत हुई। वह पर्यावरण की रक्षा करने के प्रति संवेदनशील थे। दिल्ली में सीएनजी उनके कारण आ सका।

उन्होंने व्यावहारिक विदेश नीति का पालन किया जिसका लक्ष्य पड़ोसी देशों के साथ तनाव कम करना और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ उपयोगी साझेदारी बनाना था ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव से समझौता किए बिना भारत के आर्थिक विकास को उन्नत बनाया जा सके। वह एक दूरदर्शी स्टेट्समैन थे। पाकिस्तान और अमेरिका के प्रति उनकी नीति इसी बात को रेखांकित करती है। विदेश नीति के मोर्चे पर उनके प्रयासों ने देश की सरहद के बाहर उनकी साख व लोकप्रियता को विस्तार दिया था। खासकर अमेरिका से मित्रता की उनकी कोशिशों और पाकिस्तान यात्रा ने दुनिया भर में उनकी अच्छी मंशा को पहुंचाया। जसवंत सिंह और स्ट्रोब टालबोट्ट वार्ता को अटलजी ने अपनी मौन सहमति दी थी और इसी बातचीत ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद से तनावपूर्ण आ रहे दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी और यह संबंध दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हुआ। अटलजी में यह योग्यता थी, उनकी साख ऐसी थी और उनका कद ऐसा था कि वह विरोधाभासों में सामंजस्य बिठा लेते थे।

अटलजी से पहले के दौर में अमेरिका अपनी नीति में भारत–पाक को एक–साथ जोड़कर ही देखता था। लेकिन अटलजी ने पहल की कि भारत को पाकिस्तान से अलग करके अमेरिका देखे। उनकी पहल ने रंग लाया और आगे चलकर अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जोड़ लिया। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों को एक स्थिर, मजबूत और नया आयाम दिया।

अटलजी ने हमेशा पड़ोसी देशों को साथ लेकर या उनके साथ चलने की कोशिश की। उनका मानना था कि हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने और कश्मीर मसले का हल निकालने के लिए उन्होंने गंभीर कोशिश की थी। एकजुटता के सूत्रधार अटलजी ने इंसानियत के अपने नजरिए की बदौलत कश्मीरियों का दिल जीता। उन्होंने कश्मीरियों में आत्मविश्वास भरा और उम्मीदें जगाईं। कश्मीरियों को लगता था कि मानो अटलजी उनके ही बीच से ही निकले कोई शख्स थे। कारगिल, कंधार और संसद पर हमले के बावजूद 1999 से 2004 के बीच कश्मीर में जो भी सकारात्मकता दिखी, उसका श्रेय उनको ही जाता है। बातचीत शुरू करने की उनकी दृढ़ता के कारण कश्मीर में अलगाववादियों ने हथियार छोड़े और समझौते का रुख अपनाया। अटलजी के 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत के दायरे' वाली नीति से कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने दिल्ली–लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया एवं कुछ नामचीन हस्तियों के साथ खुद भी बस में बैठकर लाहौर गए। पाकिस्तान ने वाजपेयी जी की उदार छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया। अटल जी ने कारगिल युद्ध को बहुत अच्छी तरह से संभाला और 'आपरेशन विजय' के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश गया कि भारत का नेतृत्व कुशल और अनुभवी हाथों में है और भारत किसी भी हमले का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वर्ष 2004 की सार्क बैठक में जो समझौता हुआ था उसके शब्द हैं– 'भारत विरोधी ताकतों को पाकिस्तान अपनी जमीन के किसी भी हिस्से के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा।' पाकिस्तान का यह वादा आज भी उसे आईना दिखाने में हमारा बड़ा हथियार है।

लौहार बस यात्रा के समय वह बहुत आशान्वित थे और गवर्नर हाउस में दिया उनका भाषण राजनय के क्षेत्र में

ऐतिहासिक माना जाता है। फरवरी 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षी समझौते 'लाहौर डिक्लरेशन' पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत यह कहा गया कि भारत–पाक के बीच जितने भी मसले–मामले हैं उन सबको आपस में दोनों देश मिलकर कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कश्मीर मामले पर सही मायने में बातचीत शुरु हुई और धीरे–धीरे दोनों देशों के बीच आसानी से वीजा तक मिलने लगे, जो पहले काफी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर कारगिल का युद्ध थोप दिया। परवेज मुशर्रफ के धोखे ने उन्हें बहुत पीड़ा दी। वह हर कीमत पर अतिरिक्त मील चलकर भी पाकिस्तान से मैत्री चाहते थे। विश्वासघात हमेशा पाकिस्तान से हुआ और उन्होंने एक बार कहा भी– उन पर कैसे भरोसा करें? कारगिल के शहीदों को सम्मान के प्रति वह बहुत संवेदनशील रहे और उनके शासन में ही पहली बार भारत में सैनिक शहीदों को भावभीनी विदाई दी गयी।

चीन अटलजी की शख्सियत से बेहद प्रभावित था। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जब वे साल 2003 में बीजिंग गए तो शक और आशंकाओं से घिरे चीनी नेताओं के सामने उन्होंने सीमा संबंधी सवालों पर विशेष प्रतिनिधियों को बहाल करने का नया विचार पेश किया। उनके इसी दौरे में चीन ने सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दी थी।

ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के संबंध में उनकी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' बहुत मायने रखती है। उनका मानना था कि इन देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध पहले से ही रहे हैं और इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए इनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। उन्होंने अरबों के साथ नजदीकियों पर बल दिया। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए जरूरी था क्योंकि भारत का तेल आयात अरब देशों से होता था।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, जहां–जहां भी गए, स्थाई मित्र बनाए और भारत के हितों की स्थाई आधारशिला रखते गए। 1993 में मानवाधिकार से जुड़ी बैठक के लिए जेनेवा गए प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने नेतृत्व किया, इस दौरे को आशातीत सफलता मिली। इसलिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती रही जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में हिन्दी में भाषण देकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वहां उन्होंने आर्थिक मुद्दों, विकासशील एवं विकसित देशों के बीच संवाद, निरस्त्रीकरण, पश्चिम एशिया और रंगभेद की ओर सदस्य राष्ट्रों का ध्यान खींचा। उनकी विदेश नीति को अब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है। वे निश्चय ही भारत की विजय, विकास एवं खुशहाली के स्वर थे।

उनके जीवन के विविध आयाम हैं और वे सभी प्रशंसनीय हैं। राजधर्म को सर्वोपरि मानने वाले एवं उसका पालन करने वाले अटलजी को एक विजनरी नेता, विकास के पुरोधा, मंत्रमुग्ध कर देने वाले धारा प्रवाह वक्ता, कुशल प्रशासक, संवेदनशील कवि, अच्छे सम्पादक, लेखक, विरोधियों के बीच सहज स्वीकार्य, भरोसा पैदा करने वाले, असहमतियों का आदर करने वाले शख्सियत एवं जन–जन के नायक के रूप में याद किया जाता है। शब्दों को नाप–तौलकर बोलना और सार्थक बोलना उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी खूबी रही है। उन्होंने सदा बड़े विवादों से दूरी बनाए रखी और अपनी एक बेदाग छवि निर्मित की जिसके कारण विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहते। उनके विरोधी अक्सर उन्हें 'राइट मैन इन रांग पार्टी' कहते थे, यानी वह इंसान तो सही हैं, लेकिन उनकी पार्टी गलत है। इसका वह जवाब देते थे कि अगर फल अच्छा है तो डाल कैसे खराब हो सकती है? उनका रुतबा इतना बड़ा था कि विरोधी भी उनके सामने आने के बाद उन्हीं के हो जाते थे। बाद में उनकी यह स्वीकार्यता उनकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई।

जब अटलजी विपक्ष में थे तो कई विपक्षी दलों के नेताओं ने उनसे संसद में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने कहा कि इससे देश का क्या भला होगा? राजनीति करने का उनका तरीका आज के दौर से बिल्कुल अलग था। अटलजी ने 1974 में संसद से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण संसदीय लोकतंत्र की प्रभावहीन होती मर्यादा एवं सदन का सत्तारूढ़ दल के 'रबर स्टाम्प' के रूप में बदल जाना बताया था। उनका उद्देश्य और दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वह दूर की सोचते थे और उसी के मुताबिक अपनी कार्ययोजना तैयार करते थे। चार दशक से भी अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए जिस तरह उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई एवं विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जैसी धाक जमाई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपातकाल में वे जेल गये, तानाशाही का जुल्म झेला, लेकिन बाद में सत्ता में आये तो इंदिराजी के प्रति भाषा में कभी कटुता नहीं दिखायी। वे विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत प्रहार करने से सबको मना करते थे। वे कहते थे कि, 'कार्यक्रमों, नीतियों का विरोध करो, व्यक्तिगत आक्षेप राजनीति में मान्य नहीं हो सकते।' उनकी संसदीय शैली स्वयं एक राजनीतिक विद्यालय कहा जा सकता है, आक्रामकता में भी शालीनता,

प्रहारों की तीव्रता में भी संयम, आज जो लगभग पूरी तरह संसद से गायब हो चुकी है। अगर वह पिछले कुछ वर्षों से अपने पूरे होशो–हवाश में होते तो मौजूदा राजनीतिक बयानबाजी, संसद में अवरोध, भीड़ द्वारा लोगों की हत्या, धार्मिक असामंजस्य और विरोधी विचारों के प्रति असहिष्णुता को देखकर खुश नहीं होते। अटलजी का सम्मान करने के लिए उनके मूल्यों को अपनाना चाहिए और दोस्तों व दुश्मनों के साथ उनके व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए।

सहज एवं सरल व्यक्तित्व के मामले में उनकी तुलना कुछ हद तक सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री से की जा सकती है। बोल–चाल, रहन–सहन में वह हमेशा ही हमारे बीच के किसी शख्स की तरह ही लगते थे। न कोई तड़क–भड़क, न कोई ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व। लोगों से जुड़ने का उनके पास एक सशक्त औजार था, उनकी वाणी। उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी। इस वाणी के बल पर उन्होंने बरसों तक पूरे देश को मंत्र–मुग्ध किए रखा, अपने विरोधियों को भी। यही अटलजी का सबके लिए समान सोच वाला व्यक्तित्व था। अब भी भाजपा उनके दिखाये रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में अटलजी जैसा व्यक्तित्व खोज पाना मुश्किल है।

देश की जनता ने जितना प्यार और सम्मान उन्हें एक राजनेता या प्रधानमंत्री के रूप में दिया, उतना ही सम्मान उनकी गीतों एवं कविताओं को भी मिला। उनके गीत हमारे दिल को बड़ी सादगी के साथ छूते हैं। उनको छंद का अदभुत ज्ञान था। वे गीतों एवं कविताओं के माध्यम से सवाल उठाते थे। उनके गीत/कविता भूख, देश की समस्याओं एवं उनके समाधान, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। वे उम्मीदों की बात करते हैं, उनके गीतों में हार नहीं है। उनके व्यक्तित्व की विशालता का परिचायक उनकी ही कविता की ये पंक्तियां हैं–

gkj ugh ekuxk] jkj ubl Bkuxk
dky d diky i fy[krk feVkrk g
xhr u;k xkrk g

अटल जी एक अच्छे कवि, लेखक एवं संपादक रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं– मेरी इक्यावन कविताएं, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराय की कुण्डलियां, इक्कीस कविताएं, न्यू डाइमेन्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फोर डिकेड्स इन पार्लियामेंट आदि।

वह एक कुशल वक्ता थे। उनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर नेहरूजी ने कहा था कि "वाजपेयी की जुबान में सरस्वती है, ये किसी दिन किसी ऊँचे पद को प्राप्त करेंगे।" उनके भाषण इतने प्रखर और सधे हुए होते थे कि उन्होंने इसके जरिए अपने करोड़ों प्रशंसक बना लिए। अपने भाषण में वह अक्सर हास्य का पुट डालते थे जिससे उनके आलोचक भी उनकी प्रशंसा से खुद को रोक नहीं पाते थे। वे किसी पर कटाक्ष भी गरिमा के साथ ही करते थे। उनकी भाषण की शैली ऐसी थी कि जब चाहे हंसा देते थे, और गंभीर होते तो हमारी आंखों में आंसू ला देते थे। उन्हें 'शब्दों का जादूगर' भी कहा जाता था। हिंदी भाषा से उनका विशेष प्रेम रहा है। उनका मानना था कि अपनी मातृभाषा में ही आदमी अपने को मौलिक रूप में प्रकट कर सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर विश्व में हिन्दी का सम्मान बढ़ाया।

भारतीय राजनीति में वह प्रथम गैर–कांगेसी प्रधानमंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में (मुख्यतः गुजरात दंगा एवं इंडिया शाइनिंग अभियान के कारण) भाजपा की हार के बाद अटलजी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात वे भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष और राजग के चेयरमैन बनाए गए। अपनी खराब सेहत के कारण उन्हें 2009 से राजनीति से दूर रहना पड़ा।

भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तो इनको भारतीय राजनीति का 'भीष्म पितामह' कहकर संबोधित किया है। अटलजी को अब तक पद्म विभूषण (1992), लोकमान्य तिलक पुरस्कार (1994), सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार (1994), पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार (1994) तथा भारत रत्न सम्मान (2014) से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी उपलब्धियों के कारण वे सभी विशेषण, पुरस्कार, सम्मान से ऊपर उठ चुके हैं। 16 अगस्त 2018 को उनके निधन पर केन्द्र सरकार ने सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उनकी अंत्येष्टि 17 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में शांति वन के निकट राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर की गई जहां उनके स्मारक के निर्माण हेतु भूमि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। भारत को सबसे आगे, ऊंचाई पर, दुनिया की अगुवाई करते देखने का सपना उनकी आंखों में पलता था। अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट, शालीनता, शब्दों की विरासत और कई खट्टी–मीठी यादों को पीछे छोड़कर अनंत यात्रा पर जाते हुए वे संदेश देते हैं–

e th Hkj ft;k] e eu l e:
ykVdj vkÅxk] dp l D;k M:\

देश के साधनों, संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है।

भ्रष्टाचार से ग्रसित समाज

डॉ. शशि बाला*

स्वार्थ पैसे की चाहत या कहें एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अन्त नहीं। उसी दौड़ का हिस्सा आज भारतीय समाज का एक बड़ा तबका बन चुका है। यह रोग अब समाज के ज्यादातर हिस्सो में फैल रहा है, मेरा आशय भ्रष्टाचार रूपी रोग से ही है। भ्रष्टाचर अर्थात भ्रष्ट–आचरण, यह भ्रष्ट–आचरण कई प्रकार का हो सकता है। घूसखोरी, पक्षपात, भाई– भतीजावाद, जातिवाद या फिर धर्मवाद, यह सभी भ्रष्ट–आचरण के ही रूप हैं। नियमों को दरकिनार करते हुए किसी व्यक्ति विशेष या कम्पनी का पक्ष लेना भी भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है। भ्रष्ट–आचरण की शुरुआत पक्षपात से ही होती है चाहें यह पैसे के लिए किया जाए अथवा व्यक्तिगत फायदों के लिए।

हमारे देश को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर यह सोने की चिड़िया कहाँ गयी? यह हमारे समाज में पनप रही इसी भ्रष्टाचार रूपी बीमारी की वजह से विलुप्त हुई है। हमारी सोच व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ने की ज्यादा थी न कि समाज के उत्थान की। हम यहाँ जापान का उदाहरण लें तो अच्छा रहेगा। वह देश हमारे प्रदेश से भी छोटा है, यहाँ सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ, चाहें भूकम्प, सुनामी हो या फिर ज्वारभाटा, आती रहती हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के दिनों में दो–दो परमाणु बम गिरने से पूरी तरह तबाह हो जाने के बाद भी यह आज विकसित देश है और हमारा देश आजादी के इतने सालों बाद भी विकासशील देश ही है। वजह, हमारी व्यक्तिगत सोच या कहें कि व्यक्तिगत फायदे की चाहत। फिर चाहे इस फायदे के लिए समाज या उस आर्गेनाईजेशन, जहाँ आप काम करते हैं, का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हो। जापान की व्यक्तिगत आय हमारे देश की व्यक्तिगत आय से कितनी अधिक है इसका जिक्र करने की शायद आवश्यकता नहीं है, अर्थात व्यक्तिगत सोच के बावजूद भी हम आय के मामले में उनसे बहुत पिछड़े हुए हैं।

बचपन में भारतीय बच्चों को पढ़ाया जाता है, सच बोलोगे तो अच्छे आदमी बनोगे। जब कोई व्यक्ति जब नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आखिर आप यह कार्य क्यों करना चाहते हैं, उसका घिसापिटा जवाब होता है – समाज की सेवा और समाज में बदलाव लाना मेरा उद्देश्य है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचने लगता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तो तब होता है जब हमारा समाज उस व्यक्ति के बढ़ते रुतबे के सामने नतमस्तक हो जाता है। जो पिता और अध्यापक उसे ईमानदारी का पाठ सीखा रहे थे अब उसके इसी रूप की सराहना करने लगते हैं। देखा जाए तो भ्रष्टाचार के बढ़ावे के लिए भारतीय समाज खुद भी कम दोषी नही है, आदमी कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों न हो, यदि वह भ्रष्ट है तो उसका तिरस्कार करना ही होगा।

भ्रष्टाचार को बढ़ाने में ईमानदार व्यक्ति भी कम जिम्मेदार नही है। किसी भी आर्गेनाईजेशन में सिर्फ बेईमान व्यक्ति ही हों ऐसा नही है, कुछ तो ईमानदार भी होंगे लेकिन उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज न उठाना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही है। क्या एक आर्गेनाईजेशन का प्रधान एक ही व्यक्ति रहता है, क्या हमेशा आर्गेनाईजेशन का प्रधान बेईमान व्यक्ति ही होता है, ऐसा नही है परन्तु जब ईमानदार व्यक्ति किसी आर्गेनाईजेशन का प्रधान होता है और वह भ्रष्टाचार को अतीत में दूसरे के द्वारा की गयी करतूत बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है और बेईमान व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकामयाब रहता है तो धीरे–धीरे ईमानदारी और संकुचित होने लगती है ।

भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इससे अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ने लगते हैं तथा हमारे श्रम कार्यबल में विसंगतियां बढ़ने लगती हैं। आय के असमान वितरण से समाज में बहुमुखी विकास नहीं हो पाता। अवैध तरीके से अथाह धन कमाने वाले व्यक्ति इस धन का उपयोग अपने देश में नहीं करते हैं, अपितु धन को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं। माल्या और नीरव मोदी का उदाहरण लें तो उन्होंने देश के अरबों रुपयों को

** फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

दूसरे देशों में स्थानांतरित कर दिया। इससे न केवल देश को आर्थिक नुकसान हुआ अपितु जिस धन के इस्तेमाल से लाखों रोजगार उत्पन्न किये जा सकते थे, वह विदेश चला गया और लाखों रोजगार उत्पन्न करने के सपने अधूरे ही रह गए। मूलतः यह अर्थव्यवस्था के लिए आतंक है। वित्तीय घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था जर्जर होने लगती है कुछ क्रोनी व्यवसायी अपने फायदे के लिए बैंक कर्मचारियों से मिलकर लोन लेते हैं तथा धीरे–धीरे उस धन को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं। क्या यह कोई व्यवसाय है? नहीं, यह सिर्फ एक लूट है। इस प्रकार के घोटालों में संलिप्त व्यक्तियों को कठोर सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि यह देशद्रोह से कम नहीं है।

हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सी.बी.आई., सी.वी.सी. जैसी संस्थाएं हैं। लोकपाल बिल भी इसी कड़ी का हिस्सा है ताकि सरकारी संस्थाएं राजनेताओं के दबाव के बिना अपना कार्य कर सकें। परन्तु अभी भी इसका कार्यान्वयन होना बाकी है। इस सामाजिक कुरीति से निजात पाने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता तो है ही, उससे भी ज्यादा जरुरी है कि भ्रष्ट व्यक्तियों का तिरस्कार किया जाये। उनको इज्जत की दृष्टि से देखना बन्द करना होगा तभी इस प्रकार के व्यक्ति समाज में अलग–थलग पड़ेंगे। हमें नुक्कड़ जनसभाओं के द्वारा लोगों को जागृत करना चाहिए कि समाज की उन्नति के लिए किस प्रकार के आचरण होने चाहिए। हमें अच्छे–आचरण तथा भ्रष्ट–आचरण के लोगों का जिक्र करना चाहिए जिससे समाज में अच्छे व्यक्तियों का सम्मान बढ़े और भ्रष्टाचारियों को लोग हेय दृष्टि से देखें। इसकी शुरुआत हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए, जैसे हर आर्गेनाईजेशन में सफाई अभियान चलाया जाता है इसी प्रकार हर महीने में एक दिन संगोष्ठी का मुददा भ्रष्टाचार भी होना चाहिए। हम एक स्वच्छ और ईमानदार समाज की आशा तभी कर सकते हैं जब हम खुद से इसकी शुरुआत करें। हम बदलेंगे तो समाज और देश बदलेंगे।

महिला नहीं अब अबला नारी

रुचिका चौहान*

आओ सुनो एक नयी कहानी
महिला नहीं अब अबला नारी
पुरुषों के संग कंधे से कंधा मिलाती
घूम रही है दुनिया सारी

खेल जगत हो, फिल्म जगत हो या हो राजनीति की ज़िम्मेदारी
महिला खेल रही हर पथ में एक नई और सशक्त पारी
कभी माँ बनकर इस दिन दुनिया में एक नया फूल खिलाती
तो कभी बेटी बन हमारे घर आँगन को महकाती

माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, पत्नी है वो
सुख–दुःख से भरे इस जीवन की एक नई आशा है वो
शक्ति है वो प्रेरणा है वो, ममता की मूरत है वो
आज के इस प्रगतिशील जीवन में, नहीं किसी पर निर्भर वो
दुनिया के इस सागर में एक उभरती कलाकार है वो
सम्मान नहीं दे सकते है तो, अपमान भी उसका तुम न करो
नारी है जीवन दायनी उस पर तुम अभिमान करो
याद रखो ये बात पुरानी नारी है जननी, नारी कल्याणी
नारी से है दुनिया सारी
आओ सुनो एक नयी कहानी
महिला नहीं अब अबला नारी

"हजारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए
हजारो दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए
हजारो बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए
पर एक 'स्त्री" अकेली ही काफी है
घर को स्वर्ग बनाने के लिए

* *एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2018 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 सितंबर – 01 अक्टूबर 2018 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2018 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 14 सितंबर 2018 को हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गयी। उद्घाटन समारोह के दौरान संस्थान की राजभाषा पत्रिका "श्रम संगम" के नवीनतम अंक का लोकार्पण भी किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 42 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 22 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। सामान्य टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्रीमती सुधा वोहरा ने द्वितीय एवं श्रीमती गीता अरोड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने भाग लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री कृष्ण कुमार ने प्रथम, श्री सत्यवान व श्री दिलीप सासमल ने द्वितीय एवं श्री हरीश सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्रीमती प्रियंका ने द्वितीय एवं श्रीमती रुचिका चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने प्रथम, डॉ. एलीना सामंतराय ने द्वितीय एवं डॉ. रम्य रंजन पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ / गीत / गजल प्रतियोगिता में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम, श्रीमती रुचिका चौहान ने द्वितीय एवं डॉ. हेलन आर. सेकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, सुश्री सारिका ने द्वितीय एवं श्रीमती मोनिका गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण

प्रतियोगिता में डॉ. हेलन आर. सेकर ने प्रथम, डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम ने द्वितीय एवं श्री सत्य प्रकाश तिवाड़ी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती मोनिका गुप्ता ने द्वितीय एवं श्री ऋषभ वाजपेयी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी स्टाफ के बच्चों के लिए हिंदी पखवाड़ा के दौरान 29 सितम्बर 2018 को एक चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता तीन श्रेणियों (कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, तथा कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे) में आयोजित की गयी तथा प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार रखे गये थे।

पुरस्कार विजेता बच्चों के नाम इस प्रकार हैं:

कक्षा 1 से 5: प्रथम पुरस्कार – कु. प्रशिता स्वामी (सुपुत्री श्रीमती प्रियंका)

द्वितीय पुरस्कार – मा. अद्विक स्वामी चौहान (सुपुत्र श्रीमती प्रियंका)

कक्षा 6 से 8: प्रथम पुरस्कार – मा. अमन कुमार (सुपुत्र श्री नरेश कुमार)

द्वितीय पुरस्कार – कु. तान्या (सुपौत्री श्री उमाशंकर पासवान)

कक्षा 9 से 12: प्रथम पुरस्कार – कु. निकिता यादव (सुपुत्री श्री राधेश्याम)

द्वितीय पुरस्कार – कु. मानसी चौहान (सुपुत्री श्री राम किशन)

सभी विजयी प्रतिभागियों को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर 01 अक्टूबर 2018 को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

हिंदी पखवाड़ा–2018 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए संस्थान के कर्मचारीगण

आश्रय गृहः आसरा या आपदा

बीरेंद्र सिंह रावत*

1. प्रस्तावना

भारत विविधताओं का देश है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, हैं तो दक्षिण में विस्तृत हिन्द महासागर है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी है तो पश्चिम में वृहत थार मरुस्थल है। एक ओर समतल गंगा–जमुनी संस्कृति वाले मैदान हैं तो दूसरी ओर ऊँचा–नीचा दक्षिण का पठारी भाग है। प्राकृतिक विविधता ने यहाँ की नृजातीय विविधता और जनसंख्या के असमान वितरण के साथ मिलकर इसे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। फिर, भारत के संविधान ने भी सभी भारतीय नागरिकों को समता, वाक–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए हैं। इन सब विविधताओं और अनेकानेक अधिकारों की तरह ही भारत में नाना प्रकार की समस्याएँ एवं इन समस्याओं के निराकरण के लिए बड़ी संख्या में संवैधानिक प्रावधान एवं कानून भी मौजूद हैं। उदाहरणार्थ भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण गरीबी एवं इससे उत्पन्न अन्य अनेक समस्याएँ हैं। इनमें से एक प्रमुख समस्या किसी भी वजह से घर से बेघर हुए बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित आसरा प्रदान करने की समस्या है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विविध कानूनी प्रावधानों के तहत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अनेक आश्रय गृह संचालित करते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों से अलग–अलग स्थानों पर स्थित इन आश्रय गृहों से शोषण की खबरें लगातार आ रही हैं। जिन आश्रय गृहों पर बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं को सुरक्षा के लिहाज से रखा जाता है और उनकी सुरक्षा एवं आश्रय गृहों के संचालन पर सरकारी कोष से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, अगर वे ही स्थान उनके लिए सबसे असुरक्षित बन जाएँ, तब इन बेघरों एवं निराश्रितों के सामने क्या रास्ता बचता है। देश में अभी कुल 9589 आश्रय गृह हैं, इनमें से मात्र 3087 चाइल्ड केयर होम ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जेजे एक्ट) के तहत पंजीकृत हैं। इनमें से कई आश्रय गृह मान्यता रद्द होने के बाद भी चल रहे हैं, यानि वहाँ चल रही गतिविधियों के बारे में किसी को भी कुछ खास अता–पता नहीं है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर एवं देवरिया के आश्रय गृहों से यौन उत्पीड़न के जो डरावने विवरण सामने आए उनसे सहज ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लचर प्रवर्तन तंत्र एवं सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण ये आश्रय गृह बेघरों एवं निराश्रितों को आसरा देने के बजाय समाज के लिए बहुत बड़ी आपदा की तरह हैं।

2. विविध संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनेक अनुच्छेदों में बच्चों की बात की गई है जैसे कि अनुच्छेद 15 सरकार को बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और विकास इत्यादि के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 24 में खतरनाक काम से रोक, अनुच्छेद 39 में किसी भी काम को जबरदस्ती करने से रोक और हर बच्चे को स्वस्थ तथा अनुकूल वातावरण देने की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी "बच्चों के अधिकार" के घोषणा पत्र में बच्चों को जीवन का, विकास का, संरक्षण का और सहभागिता का अधिकार दिया है। इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर इन अधिकारों को अपने देश के बच्चों को देने का दृढ़ संकल्प लिया है। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3 (राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करना), अनुच्छेद

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

39 के खंड ङ (राज्य द्वारा अपनी नीति का, विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करना कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों) और खंड च (बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएँ और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए), अनुच्छेद 45 (राज्य, सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा) और अनुच्छेद 47 (राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा) के उपबंधों के अधीन राज्य द्वारा वर्ष 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियमन विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए किया गया था। बदलते समय की आवश्यकताओं को देखते हुए इस अधिनियम को 31 दिसंबर 2015 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तौर पर पुनः अधिनियमित किया गया है। इनके अलावा, बालकों के संरक्षण के लिए अन्य अनेक अधिनियम यथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम, 2012; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; अनैतिक अवैध व्यापार (निवारण) अधिनयम, 1956 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 भी मौजूद हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (12) से (14) के अनुसार 'बालक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; धारा 2 (13) के अनुसार 'विधि का उल्लंघन कनरे वाला बालक' से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध को किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; एवं धारा 2 (14) के अनुसार 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक' से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं हैं; जो पथ पर भीख माँगते या वहाँ रहते पाया जाता है; जो किसी व्यक्ति (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) के साथ रहता है और ऐसे व्यक्ति ने उसे क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या फिर यह सब करने की उसे धमकी दी है; जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है जिसकी सहायता या देखरेख करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता –पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं; जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 50 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे बाल गृह स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जिन्हें बालकों की देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 54 के अनुसार राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य और जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन योग्य होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत या मान्यताप्राप्त सभी संस्थाओं के लिए, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएँ, निरीक्षण समितियाँ नियुक्त करेगी, ऐसी निरीक्षण समितियाँ, तीन सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम–से–कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आबंटित क्षेत्रों में तीन मास में कम–से–कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्रों का अनिवार्य तौर पर निरीक्षण करेंगी और निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों

की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी, तथा इस रिपोर्ट पर जिला बाल संरक्षण एकक या राज्य सरकार द्वारा एक मास के भीतर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम की धारा 55 के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएँ, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं या मान्यताप्राप्त उचित सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी।

3. प्रवर्तन की कमी

यह प्रवर्तन तंत्र एवं सरकारी तंत्र की उदासीनता का ही परिणाम है कि आज देश में बाल अपराध चरम सीमा पर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्ययन 'चाइल्ड एब्यूज इन इंडिया' के मुताबिक भारत में 53.22 प्रतिशत बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का यौन दुर्व्यवहार और उत्पीडन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि बच्चों को रखने और देखभाल करने वाले हर संस्थान को किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाना होगा, ताकि इनकी निगरानी की जा सके। वैसे आश्रय गृह की स्थापना व संचालन की जिम्मेदारी राज्य की है, वो चाहे तो यह काम खुद करे या फिर किसी एनजीओ से करवाए। इनके संचालन के लिए ज्यादातर पैसा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आता है। फिर भी संचालन में केंद्र की कोई सीधी भूमिका नहीं है। केंद्र को यह अधिकार जरूर है कि आश्रय गृह की गतिविधियों का निरीक्षण कराए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बच्चों की देखभाल करने वाली सारी संस्थाओं का ऑडिट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से कराने का निर्देश दिया था। लेकिन, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम में आयोग को ऑडिट नहीं करने दिया गया।

देश में कुल 9,589 चाइल्ड केयर होम हैं। इनमें 3.68 लाख बच्चे रह रहे हैं, जिनमें 1.98 लाख लड़के, 1.69 लाख लड़कियां और 92 ट्रांसजेंडर हैं। इन केंद्रों में से 8,744 को एनजीओ चला रहे हैं, बाकी राज्य सरकारें चला रही हैं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब सालभर बाद भी 3,087 चाइल्ड केयर होम ही जेजे एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। नियम है कि राज्य व जिला स्तर की समितियां इन शेल्टर होम्स का तीन महीने में एक बार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड महीने में एक बार तथा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी महीने में दो बार निरीक्षण करे। मगर अभी तक सिर्फ दस्तावेजों एवं अवसंरचना का ही ऑडिट होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन होम्स की सतत मॉनीटरिंग और इन्हें होने वाली फंडिंग की सीएजी द्वारा जांच की बात कही है। मुजफ्फरपुर व देवरिया की घटना के बाद इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अक्तूबर 2018 के मध्य तक देशभर के 3000 आश्रय गृहों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करवाया है। मानदंडों का पालन नहीं करने वाले 40 से ज्यादा आश्रय गृह बंद भी करवा दिए गए हैं।

वर्ष 2009 में बिहार में जिला बाल संरक्षण एकक (डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट – डीसीपीयू) की स्थापना हुई थी। उस वक्त बिहार अपने इस कदम के लिए सुर्खियों में था। कारण यह था कि बिहार देश का इकलौता राज्य था जहां जिला स्तर पर बाल संरक्षण एकक स्थापित हुआ था। इस यूनिट में बाल संरक्षण अधिकारी समेत कई अधिकारियों को रखा गया था। डीसीपीयू को हर महीने बाल व बालिका गृहों में जाकर हालात का जायजा लेने का जिम्मा दिया गया था। पर आज इसी बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड में जिला बाल संरक्षण अधिकारी रवि कुमार रोशन, बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास और अध्यक्ष दिलीप वर्मा सलाखों के पीछे हैं।

4. बच्चों के शोषण घटनाएँ

मुजफ्फरपुर तथा देवरिया से एक दशक पहले जुलाई 2007 में खुलासा हुआ था कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एनजीओ तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक अनाथालय में पैसे देकर देसी–विदेशी पर्यटकों द्वारा अनाथालय में रह रहे बच्चों का यौन शोषण हो रहा था। खुलासे के दो माह बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी और बीते साल मई में शीर्ष अदालत ने देश भर में चल रहे बच्चों के सभी संरक्षण केंद्रों का जुवेनाइल जस्टिस (केअर ऐंड प्रोटेक्शन) एक्ट यानी जेजे एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था। इसके अलावा 2015 में देहरादून के एक नारी निकेतन में कुछ मूक–बधिर महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मई 2017 में दिल्ली के निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स

स्थित चिल्ड्रन होम की 32 लड़कियों ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को लिखित शिकायत की थी।

5. हाल के दिनों की वीभत्स घटनाएँ

(i) e t¶Qjij ¼fcgkj½ पिछले दिनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टिस) द्वारा बिहार के करीब 100 बाल व बालिका गृहों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) किया गया, इसमें पाया गया कि 15 आश्रय गृहों में यौन शोषण व दुर्व्यवहार हो रहा है। इन 15 आश्रय गृहों में से एक बालिका गृह (बिहार सरकार के फंड से मुज़फ़्फ़रपुर के साहू रोड पर स्थित गैर सरकारी संगठन सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित) में रहने वाली 42 बच्चियों में से 34 बच्चियों से रेप व यौन शोषण की पुष्टि हुई तथा इसके बाद इन बच्चियों को मोकामा, पटना व अन्य जगहों पर स्थित बालिका गृहों में रखा गया है। इन बच्चियों के बयान पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए। लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आपबीती सुनाई है, वह रोंगटे खड़े कर देती है।

इन बच्चियों ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा है कि उन्हें रोज पीटा जाता था, नशीली दवाइयां देकर उनसे रेप किया जाता था, जब वे विरोध करती थीं, तो उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था, तथा कुछ बच्चियों को रात को बाहर ले जाया जाता था और दूसरे दिन सुबह उन्हें वापस लाया जाता। उन्होंने यह भी बताया कि वे यह बात बालिका गृह की महिला कर्मचारी को बताती थीं, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देती थी। एक बच्ची ने सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक ब्रजेश ठाकुर की तस्वीर की शिनाख्त की और कहा कि होम में उसे 'हंटरवाला अंकल' कहा जाता था। उक्त बच्ची ने कहा, 'वह जब कमरे में दाखिल होते, तो हमारी रूह कांप जाती थी।' बच्चियों ने अपने बयान में किरण कुमार और नेहा कुमारी का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा है कि ब्रजेश के खिलाफ वे कुछ बोलती, तो उन दोनों के अलावा दूसरे स्टॉफ भी उन्हें मारते–पीटते थे। कुछ बच्चियों ने यह भी बताया है कि बालिका गृह में रात के अंधेरे में आने वाले बाहरी लोगों का नाम पता तो बच्चियों को नहीं मालूम था, मगर उनकी दरिंदगी ने बच्चियों के जेहन में उनकी शक्ल–ओ–सूरत को चस्पा कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, बच्चियां उनकी शिनाख्त 'तोंदवाला अंकल', 'मूंछवाला अंकल' और 'नेताजी' के रूप में करती थीं। दरअसल समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टिस) को बिहार के करीब 100 बाल व बालिका गृहों का सोशल ऑडिट करने को कहा था। टिस की टीम 'कोशिश' ने 6–7 महीने तक सभी गृहों का दौरा किया और साथ ही बच्चे–बच्चियों से बातचीत भी की। टीम ने 27 अप्रैल 2018 को समाज कल्याण विभाग को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा। 07 मई 2018 को चर्चा करने की तारीख मुकर्रर हुई। सात मई की चर्चा के बाद 09 मई 2018 को टीम की तरफ से करीब 100 पेज की अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई। टिस की रिपोर्ट में 15 गृहों में यौन शोषण व दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'सोशल ऑडिट की कई प्रतियां छपवाईं गईं और 26 मई 2018 को जिला स्तरीय अधिकारियों को रिपोर्ट देकर कहा गया कि वे रिपोर्ट के आधार पर अविलंब कार्रवाई करें।' रिपोर्ट जब मुज़फ़्फ़रपुर की बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा के पास पहुंची, तो उन्होंने 31 मई 2018 को मुज़फ़्फ़रपुर के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

इस मामले में अब तक एनजीओ के मुखिया ब्रजेश ठाकुर, बालिका गृह में काम करने वाली किरण कुमारी, मंजू देवी, इंदू कुमारी, मीनू देवी, चंदा कुमारी, हेमा मसीह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रवि कुमार रोशन, बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास, अध्यक्ष दिलीप वर्मा तथा बृजेश ठाकुर की करीबी सहयोगी मधु की गिरफ्तारी हो चुकी है। आश्रय गृह कांड के सिलसिले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2018 को तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय जिला स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से अवैध हथियार के साथ 50 कारतूस बरामद किए थे, जिसके बाद मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरिया बरियारपुर थाने में केस दर्ज किया गया। तब से ही मंजू वर्मा फरार चल रही थीं। चन्द्रशेखर वर्मा ने इस 29 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था जबकि मंजू वर्मा ने 31 अक्टूबर को एक निचली अदालत द्वारा वर्मा के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किए जाने के बाद ही 19 नवंबर 2018 को सरेंडर किया।

इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर है और जिस तरह के नियमों की अनदेखी करके बालिका गृह का संचालन बिना रोकटोक चल रहा था और सरकारी फंड भी मिल रहा था, उससे पता चलता है कि उसकी पैठ सियासी गलियारों से लेकर ब्यूरोक्रेसी के कॉरिडोर तक है।

उनकी मदद से वह हर चीज को मैनेज कर लिया करता था। एनजीओ के साथ ही वह एक हिंदी अखबार प्रातः कमल, उर्दू अखबार हालात–ए–बिहार और अंग्रेजी दैनिक न्यूज नेक्स्ट भी चलाता है. इसका दफ्तर बालिका गृह के प्रांगण में ही है। दिलचस्प बात तो यह है कि टिस की रिपोर्ट के बाद उसके एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, इसके बावजूद उसे भिखारियों के लिए आवास बनाने के वास्ते हर महीने 1 लाख रुपये का प्रोजेक्ट दिया गया था। हालांकि, बाद में इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। ब्रजेश ठाकुर के रसूख का अंदाजा इस बात से भी लग जाता है कि 2013 में ही उसके एनजीओ को लेकर समाज कल्याण विभाग को नकारात्मक रिपोर्ट भेजी गई थी, इसके बावजूद एनजीओ को हर साल निर्बाध रूप से फंड मिलता रहा।

यही नहीं, बालिका गृह की दयनीय हालत को लेकर बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से भी तत्कालीन डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी और बालिका गृह की बच्चियों को वहां से हटाने को कहा था। कमीशन की चेयरपर्सन डॉ. हरपाल कौर ने 'द वायर' को बताया, 'हमने जिले के आला अफसरों के साथ बैठक कर कहा था कि बालिका गृह को स्थानांतरित किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।' उन्होंने कहा, 'जब मैं बच्चियों से मिली थी, तो वे रोने लगीं और कहा कि वे अपने घर जाना चाहती हैं।'

(ii) nofj;k ¼mÙkj çn'k½ उपरोक्त मामले के जैसा ही एक मामला अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी सामने आया जब वहाँ के मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान से एक 11 वर्षीय बच्ची किसी तरह भागकर थाने पहुंची। उसकी आपबीती सुनकर सभी चौंक गए और इसके तुरंत बाद महिला थाना के एसओ ने तत्काल एसपी को इसकी सूचना दी। एसपी रोहन पी कनय हरकत में आए और पुलिस फोर्स भेजकर मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान पर छापेमारी करवाई, जिसमें 42 लड़कियों में से 24 लडकियों को वहां से छुड़ा लिया गया और संस्था की संचालिका गिरजा त्रिपाठी, उसके पति मोहन त्रिपाठी, बेटी और संस्थान की अधीक्षिका कंचनलता त्रिपाठी और शिक्षक पुत्र प्रदीप त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला थाने पहुंची लड़की ने जो आपबीती सुनाई है वह बिलकुल मुजफ्फरपुर कांड से मिलती जुलती है। लड़की ने कहा कि संस्था में एक दीदी हैं। उन्हें बड़ी मैम रात को कहीं भेजती थी। कभी लाल गाड़ी तो कभी काली गाड़ी आती थी उनको ले जाने और जब दीदी सुबह में आती तो सिर्फ रोती थीं। पूछने पर कुछ भी नहीं बताती थी। हम लोगों से झाडू पोछा करवाया जाता था। वहीं इस मामले पर देवरिया के जिला संरक्षण अधिकारी का कहना है कि मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान के खिलाफ अनिमियतता पाई गई थी। उसके आधार पर इसकी मान्यता स्थगित कर दी गई थी। शासन से एक आदेश हुआ था कि सभी बच्चों को यहां से ट्रांसफर किया जाये, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती अवैध तरीके से यहां रखा गया। दूसरी तरफ, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान को स्थगित कर दिया गया था। जब इस संस्था को बंद करने का आदेश हुआ था तब प्रशासनिक अधिकारी यहां गए तो संस्था की संचालिका ने उनके साथ बदतमीजी की थी। पुलिस को दिए अपने बयानों में गवाहों ने बताया कि यहां रहने वाली लड़कियों को 'ताकतवर अतिथियों' के मनोरंजन के लिए उनके पास भेजा जाता था। अतिथियों के पास भेजने से पहले लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते थे, जिससे कि उन्हें दर्द का अहसास न हो।

पीड़ित लड़की ने कहा था, 'हम लोगों को लड़कों के पास भेजने से पहले वो हमको कोई दवा खिलाती थी। उनका कहना था कि इस दवा से तुम लोगों को दर्द नहीं होगा।' एक 13 वर्षीय लड़की ने अपनी स्टेटमेंट में बताया, 'बड़ी मैडम धमकाती थी, कहती थी, मार डालेंगे।' एक और 12 वर्षीय लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह इस आश्रय गृह में पिछले 5 महीने से ही रह रही थी, लेकिन गिरिजा उसे महीने में कम से कम पांच–छह बार गोरखपुर जरूर भेजती थी। लड़की ने बताया, 'एक कार शाम को 4 बजे यहां पहुंचती थी और अगली सुबह वह हमें यहां वापस छोड़ देती थी। हर बार कोई नया व्यक्ति होता था। कभी–कभी आदमी मोटरसाइकलों से आते थे।' लड़की ने यह भी बताया कि आदमी तभी लड़कियों को यहां से ले जा सकते थे, जब वह बदले में गिरिजा को कैश दे दें।

मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच चल रही थी और आर्थिक अनुदान बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद संचालिका हाईकोर्ट का धौंस

दिखाकर संस्था को चला रही थी। एसआईटी की जाँच में यह भी पता चला है कि आश्रय गृह में रह रही लड़कियों की शादी उनकी उम्र से ज्यादा, अपंग और दृष्टिहीन लोगों के साथ जबरन करा दी जाती है। पूछताछ में सामने आया कि शादी करने वालों से गिरिजा त्रिपाठी मोटी रकम वसूलती थी। हैरानी वाली बात यह भी है कि अनेक बार शादियाँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराई गईं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश के महिला एवं बाल कल्याण विभाग की पहल थी। एसआईटी ने पाया कि गिरिजा त्रिपाठी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी कराने के लिए हर एक शादी के 35,000 रुपये में से 5,000 रुपये अपने पास रखती थी।

6. उपसंहार

भारतीय समाज को शर्मसार करने वाले उपरोक्त दो मामलों से अनेक बातें उभर कर आती हैं, जिनमें से प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: (i) धन–लोलुप व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह मोटी कमाई करने के साधन बन गए हैं, (ii) सरकारें, बेसहारा बच्चों एवं महिलाओं के लिए आश्रय गृह खोलती तो हैं लेकिन इन आश्रय गृहों की निगरानी नियमित तौर पर नहीं होती है, (iii) आश्रय गृहों की निगरानी के लिए विशेष तौर पर जिला संरक्षण अधिकारी एवं जिला कल्याण अधिकारी नियुक्त होते हैं किन्तु ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते हैं, (iv) आश्रय गृहों के संचालकों को किसी न किसी तरह से राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने पर वे नियम–कानून के विरुद्ध काम करने से नहीं हिचकिचाते हैं, तथा (v) बालकों एवं महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कानून तो बहुत हैं लेकिन उन कानूनों का कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पाता है।

अतः सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए; आश्रय गृहों की सतत निगरानी के साथ ही सीसीटीवी कैमरों द्वारा इन आश्रय गृहों के संचालकों, कर्मचारियों एवं आने–जाने लोगों पर निगरानी रखी जानी चाहिए; आश्रय गृहों के ऑडिट के नाम पर केवल बुनियादी ढांचे का ही ऑडिट न हो, इनका अनिवार्य तौर पर सोशल ऑडिट होना चाहिए एवं सुरक्षा जाँच भी होनी चाहिए; और समाज के जागरूक वर्ग को अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए आगे आने की आवश्यकता है।

लोग हैं!

दिगम्बर सिंह बिष्ट*

तू बस अपनी खूबियाँ ढूंढ,
कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं।

अगर रखना ही है कदम तो आगे रख,
पीछे खींचने के लिए लोग हैं।
सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख,
नीचा दिखाने के लिए लोग हैं।

तू बस अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का,
जलने के लिए लोग हैं।
अगर बनानी हैं तो यादें बना,
बातें बनाने के लिए लोग हैं।

प्यार करना है तो खुद से कर,
दुश्मनी करने के लिए लोग हैं।
रहना है तो बच्चा बनकर रह,
समझदार बनाने के लिए लोग हैं।

भरोसा रखना है तो खुद पर रख,
शक करने के लिए लोग हैं।
तू बस सँवार ले खुद को,
आईना दिखाने के लिए लोग हैं।

खुद की अलग पहचान बना,
भीड़ मे चलने के लिए लोग हैं।
तू बस कुछ करके दिखा दुनिया को,
तालियाँ बजाने के लिए लोग हैं।

** अकाउंट एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा सोशल मीडिया से संकलित*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पर्यावरण संरक्षणः विजन, कार्य एवं मिशन

राजेश कुमार कर्ण*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की शख्सियत का लोहा तो पहले ही दुनिया मान चुकी है। अब दुनिया के तमाम देशों की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम ये सलामी भेजी है कि अपने नेतृत्व में उन्होंने कुदरत की रखवाली की है और इसके लिए उनको पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 'चैम्पियन ऑफ द अर्थ' दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 26 सितम्बर 2018 को न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित 73वें संयुक्त राष्ट्र आमसभा के दौरान की गई थी। भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 3 अक्तूबर 2018 को उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कुशल नेतृत्व एवं भारत को 2022 तक एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से मुक्त कराने के संकल्प के लिए 'पॉलिसी लीडरशिप' श्रेणी में दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सरकारी, सिविल सोसायटी एवं निजी क्षेत्र के उन असाधारण नेताओं को प्रदान किया जाता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो।

पुरस्कार समारोह के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरे को न सिर्फ समझा, बल्कि इससे निपटने के लिए कदम भी उठाए और यही बात उन्हें दुनिया के अन्य नेताओं से अलग करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 'जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। पूरी दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है।' जलवायु परिवर्तन में भारत की सक्रिय भूमिका को मान्यता मिलना और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहिम द्वारा भारत की भूमिका की प्रशंसा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत की सवा सौ करोड़ जनता की प्रतिबद्धता का सम्मान है।

पुरस्कार समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारतीय हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। हम प्रकृति में परमात्मा को देखते हैं। पेड़–पौधों की पूजा करना, मौसम, ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मानना, लोरियां, लोकगाथाओं में प्रकृति से रिश्ते की बात करना हमारे जीवन का हिस्सा है। हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, सहजीव माना है। उन्होंने दुनिया को पर्यावरण के प्रति सचेत रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, 'पर्यावरण और आपदा सीधे तौर पर जुड़े हैं। अगर संस्कृति के केन्द्र में पर्यावरण नहीं है तो आपदा को रोका नहीं जा सकता। जब मैं

*स्टेनो असिस्टेंट, ग्रेड–II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

'सबका साथ' कहता हूँ तो इसमें प्रकृति भी शामिल होती है।' पर्यावरण को लेकर भारत की इसी संवेदनशीलता को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। यह हजारों वर्षों से हमारी जीवनशैली का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की अनदेखी और इसके अंधाधुंध दोहन के दुष्परिणाम ज्यादातर गरीबों को ही उठाने पड़ते हैं। यह सुखद है कि आज हमारे देश में गरीबों की संख्या घट रही है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबादी को पर्यावरण पर, प्रकृति पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना, विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, हाथ थामने की जरूरत है। उन्होंने जलवायु न्याय की बात की एवं कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जलवायु न्याय सुनिश्चित किए बिना निपटा नहीं जा सकता। यह समाज के उन गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों से जुड़ा है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम उत्सर्जन कम करने में नाकाम रहते हैं तो 2030 तक 10 करोड़ लोग गरीबी में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारा मकसद जलवायु को लोगों के अनुकूल बनाने में मदद करना होना चाहिए ताकि इससे जूझ रहे लोगों को मदद मिल सके।

आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे तेज गति से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में अपने शहरी जीवन को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने पर भी बल दिया जा रहा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल इनवॉयरमेंट और इन्क्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य के साथ बनाया जा रहा है। आज भारत में घरों से लेकर गलियों तक, दफ्तरों से लेकर सड़कों तक, बंदरगाहों से लेकर हवाईअड्डों तक, जल एवं ऊर्जा संरक्षण की मुहिम चल रही है। एलईडी बल्ब से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक, हर स्तर पर टेक्नॉलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। उजाला योजना के तहत लगभग 31 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। इस योजना की वजह से जहां एक तरफ एलईडी बल्बों की कीमतें कम हुईं, वहीं बिजली के बिलों और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे को इकोफ्रेंडली बनाया जा रहा है, उनके साथ–साथ ग्रीन कोरिडोर विकसित किया जा रहा है, मेट्रो जैसे सिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है, वहीं रेलवे की फोसिल ईंधन पर निर्भरता को तेजी से कम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत पांच करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और इसकी वजह से महिलाओं और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ जीवन सुनिश्चित हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, जबकि वर्ष 1947 में आजादी से वर्ष 2014 तक के दौरान 6.5 करोड़ शौचालय ही बने थे, अर्थात दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। अब तक पांच लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। देश में स्वच्छता का दायरा वर्ष 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर आज 95 प्रतिशत हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई हैं एवं इलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है। 'नमामि गंगे योजना' के तहत नदियों को साफ करने का बीड़ा उठाया गया है और इससे नदियों की सफाई की दिशा में देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस कार्यक्रम में ठीक ही कहा कि देश के लिए यह गौरव का दिन है। जब पेरिस समझौते से कुछ विकसित देशों ने बाहर निकलने की बात की, तब पीएम मोदी जी ने कहा था कि भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किसी दबाव में नहीं किए थे।

पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रयासों और नेतृत्व की विश्वभर में खुल कर प्रशंसा हुई। पेरिस सम्मेलन में भारत, विकासशील और विकसित देश की अंतर्रेखा खींचने में समर्थ रहा। वह समझौते में जलवायु न्याय, टिकाऊ जीवन शैली और उपभोग जैसे शब्दों को शामिल कराने में सफल रहा।

पेरिस जलवायु समझौते में यह लक्ष्य रखा गया था कि इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए विश्व के औसत तापमान को अतिरिक्त प्रयासों को शामिल करते हुए औद्योगक युग के आरंभ (वर्ष 1850) की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न बढ़ने दिया जाए। पेरिस समझौते का यह लक्ष्य निश्चित रूप से क्रांतिकारी है, क्योंकि इसके पहले 1992 में स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत यह सीमा 2 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित की गई थी। उस समय पेरिस समझौते पर अमेरिका सहित 195 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में अमरीका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आर्थिक हितों की हानि को कारण बताते हुए 1 जून 2017 को पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी। यह निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन की चुनौती के समाधान को आवश्यक रूप से प्रभावित करेगा। विश्व

के कुल कार्बन उत्सर्जन में अमरीका की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। अमेरिका ने पेरिस समझौते के अंतर्गत वर्ष 2025 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 की तुलना में 26 से 28 प्रतिशत कटौती करने का वादा किया था। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निबटने के लिए विकासशील देशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया था। अतः अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर आने से पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने लक्ष्यों को छोड़ने की बात कही है जबकि जर्मनी ने कहा है कि उसके लिए लक्ष्यों को पूरा कर पाना संभव नहीं है। विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित देश खुद भी अपने लक्ष्य हासिल करें तथा जरूरतमंद देशों के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करें। लेकिन दोनों मोर्चों पर बहुत से विकसित देश कोताही बरत रहे हैं। मोदी जी इससे हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने धरती का अस्तित्व बचाने के लिए इन चुनौतियों को अवसर के रूप में लिया एवं अतिरिक्त प्रयासों पर बल दिया।

भारत ने पेरिस समझौते को अपनाते हुए अपने यहां प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के अपने कार्बन उत्सर्जन की तुलना में 33 से 35 प्रतिशत तक की कमी लाने का संकल्प लिया है। इसके लिए उसने वर्ष 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य तय किया है। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2008 में भी राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश की थी। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कचरे का बेहतर निस्तारण, पानी का कुशलतम उपयोग, हिमालय संरक्षण, हरित भारत, टिकाऊ कृषि एवं पर्यावरण ज्ञान तंत्र का विकास उसके आठ लक्ष्य क्षेत्र थे। भारत वर्ष 2022 से एक लाख, 75 हजार मेगावॉट बिजली, सिर्फ अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पैदा करेगा। भारत ने वर्ष 2030 तक 2.5 से तीन अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत वन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करेगा। भारत, इस कार्य को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कोष का गठन करेगा। भारत ने यह घोषणा युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के समक्ष की है। भौतिक–आर्थिक विकास और शहरीकरण की जिस मंजिल की ओर भारत आगे बढ़ चला है, उस मंजिल की राह में औद्योगिक, घरेलू और कृषि ही नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र की ऊर्जा मांग में दिनानुदिन बड़ा इजाफा होने वाला है। किंतु भारत ने इस घोषणा को इंटेंडेंट नेशनल टिरमाइंड कन्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। भारत ने अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दर को विकसित देशों के मुकाबले काफी कम रखने का दीर्घकालिक लक्ष्य तय किया है। भारत अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ट्रैक पर है। ऐसे में, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोत्तरी को डेढ़ डिग्री सूल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है।

पेरिस समझौते के बाद दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें भारत को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। ग्लोबल क्लाईमेट एक्शन फ्रॉम सिटीज द्वारा जारी रिपोर्ट में पेरिस समझौते के बाद विभिन्न शहरों, प्रांतों तथा संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तर पर किए गए उपायों की जांच–पड़ताल के बाद कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में चीन की तुलना में लगभग दोगुना कमी लाने में सफल रहेगा। अपनी आबोहवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। जट्रोफा के बीज से बने तेल के जरिए विमान को उड़ाकर हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की कतार में लाने का सफल प्रयास किया है। जैव ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है। जरूरत है कि इस ईंधन का इस्तेमाल सड़क व रेल परिवहन में भी हो।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भारत की पहल है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी–21 के इतर शुरू किया था। आईएसए एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो सौर ऊर्जा संपन्न देशों के गठजोड़ में इसको प्रोत्साहन देने के लिए काम करता है। पेरिस समझौता से कुछ विकसित देशों ने हटने का ऐलान किया किंतु मोदी जी ने इस गठबंधन की नींव रखकर उन्हें राहत दी। सौर ऊर्जा की शक्ति से जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने विभिन्न राष्ट्रों के गठबंधन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनियाभर में 100 से अधिक

मुहैया कराई जाएगी। इससे सस्ते सोलर इक्विपमेंट के बाजार में चीन का दबदबा खत्म होगा।

अक्तूबर 2018 में आयोजित आईएसए की पहली महासभा में प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि पूरी दुनिया को एक ग्रिड से जोड़ दिया जाए तो फिर कहीं अंधेरा नहीं होगा क्योंकि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सूर्य हमेशा मौजूद रहता है। इसके लिए उन्होंने एक दुनिया, एक सूरज, एक ग्रिड का फार्मूला दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपेक की भूमिका आने वाले वक्त में आईएसए निभाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में इस वक्त जो भूमिका तेल के कुंए निभा रहे हैं, वही भूमिका भविष्य में सूर्य की किरणें निभाएंगी। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने का इरादा जताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य को संपूर्ण प्रकृति का गतिदाता माना जाता है। उन्होंने कहा कि 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा के जरिए हासिल करेंगे। इस सम्मेलन के नतीजे के तौर पर जारी दिल्ली सोलर अजेंडे में कहा गया कि सभी भागीदार देश अपने यहां ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सस्ते फाइनेंस, तकनीक और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देंगे एवं सौर ऊर्जा सस्ती करने के लिए टिकाऊ बाजार की संभावना तलाशेंगे।

भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी साल 2030 तक 40 प्रतिशत किए जाने के प्रयास शुरू किए गए हैं, परिणामस्वरूप देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। भारत बहुत कम कीमत पर सौर और पवन ऊर्जा पैदा करने में कामयाब रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को 20 गीगावाट से बढ़ाकर इस वर्ष 100 गीगावाट कर दिया गया था जो पूरा हो गया है। सोलर लाइटिंग सिस्टम की स्थापना में भी तेजी आई है। देशभर में लगभग 42 लाख से अधिक सोलर लाइटिंग प्रणालियां, लगभग डेढ़ लाख सोलर पंप और 181 एमडब्ल्यूईक्यू के पावर पैक स्थापित किए गए हैं। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तेजी से तरक्की की है, वह पूरे विश्व के लिए सुखद आश्चर्य एवं

देश सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दे रहे है। इसका कारण पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा हासिल करना है। हम गर्व कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन को लेकर फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने वाकई नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।

11 मार्च, 2018 को आईएसए के पहले सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ जिसमें 21 देशों के राष्ट्रप्रमुखों, 6 देशों के उपराष्ट्रपतियों और उपप्रधानमंत्रियों, 19 देशों के प्रतिनिधि मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पूरी दुनिया में गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की मुहिम जिस तरह तेज हुई है, उसमें इस सम्मेलन ने भारत को दुनिया की राजधानी के तौर पर स्थापित किया है। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ठीक ही कहा कि ''हमने इस वीकएंड में दिल्ली को सूर्य की वर्ल्ड कैपिटल बना दिया है।'' दुनिया के 121 देशों के इस गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मविश्वास से कहा कि आईएसए अगले कुछ दशकों में ओपेक (कच्चे तेल के प्रमुख निर्यात देशों का संघ) का स्थान ले सकता है, उसके दो संकेत स्पष्ट हैं। एक तो यह कि अक्षय–ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लेकर बनने वाली वैश्विक सहमति में भारत की भूमिका अग्रणी रहेगी और दूसरे यह कि जलवायु परिवर्तन को विषय बनाकर दुनिया में विकसित और विकासशील देशों के बीच जो भू–राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, उसमें भारत के आर्थिक विकास से जुड़े हितों की अनदेखी कर पाना महाशक्ति कहलाने वाले देशों के लिए मुश्किल होगा। उनका मकसद भारत को सोलर इक्विपमेंट की मैन्यूफैक्चरिंग का हब बनाने की है। भारत ने सोलर टेक्नॉलजी मिशन की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है, जिसके जरिए इनोवेटिव तकनीक से सस्ती सौर ऊर्जा

अनुकरणीय है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए विदेशी कंपनियों की निगाहें भी भारत पर टिकी हुई हैं और वे लगातार इसमें निवेश कर रही हैं। सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे इसमें काफी उछाल है। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के बिजली सुविधा से वंचित सभी परिवारों को और शहरी इलाकों के गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जा रहा है। जो गांव परंपरागत ग्रिड सिस्टम से नहीं जुड़े हैं वहां सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम यानी सौर ऊर्जा वाली तकनीक से जुड़े उपकरण बांटे जा रहे हैं जिससे पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा चलाया जा सके। इससे हर घर रोशन करने का सपना साकार होता दिख रहा है। 2015 में उदय योजना की गई जिसका लक्ष्य विद्युत कंपनी (डिस्कॉम) की आर्थिक सेहत को सुधारना है।

अमेरिका और चीन ग्रीनहाऊस गैसों के सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शुमार है। ग्रीनहाऊस गैसों के अधिक उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ता है एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम सामने आते हैं। विभिन्न शोध–अध्ययनों में यह कहा गया है कि जलवायु–परिवर्तन के दुष्परिणाम भारत के लिए बहुत गंभीर होंगे। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने और धरती पर मौजूद जीवन के प्रति साझी मानवीय जिम्मेदारी के लिहाज से नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों को यथासंभव पूरा करना भारत सहित सभी महाशक्तियों के साझे हित में है। भारत ने अपनी जिम्मेदारी के अनुकूल अक्षय–ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के क्षेत्र में तेजी से कदम उठाए हैं। अगर अपेक्षित गति बनी रही तो तयशुदा लक्ष्य पहले ही पूरा हो जाएगा। भारत सहित अन्य विकासशील देशों को जरूरी प्रौद्योगिकी और ग्रीन क्लाइमेंट फंड सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कम लागत पर वित्तीय मदद मिलना जरूरी है। आईएसए में भारत की अग्रणी भूमिका इसी कारण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्यूएल मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार मिलना अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व का ही संकेत है।

भारत से 'सिंगल–यूज' प्लास्टिक का उन्मूलन

प्लास्टिक जमीन, पानी और हवा तीनों को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक छोटे–छोटे टुकड़ों में टूटता है पर सड़ता नहीं। दुनिया भर में केवल 1 से 3 प्रतिशत प्लास्टिक ही रीसाइकल हो पाता है। यह जलकर भी नष्ट नहीं होता और इसे जलाना खतरनाक है। प्लास्टिक का कचरा जलाने से ऐसी गैसें निकलती जो फेफड़ों के कैंसर का करण बनती है। आवारा घूमने वाले पशु अक्सर प्लास्टिक में रखे कूड़े के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा जाते हैं और दर्दनाक मौत मरते हैं। सालाना लाखों जलीय जीव प्लास्टिक प्रदूषण से मर रहे हैं। प्लास्टिक के कण सिर्फ जल एवं भोजन के जरिए ही हमारे शरीर में नहीं पहुंचते बल्कि इसके सूक्ष्म कण हमारे वातावरण में हर जगह पहुंच गए हैं, इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो वे हमारे फेफड़ों में भी चले जाते हैं। भारत में प्लास्टिक से जुड़े खतरे की समझ बनने के बाद इसके इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए कानून बनाया गया, जिसके तहत कोई उत्पादक या दुकानदार 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कई राज्य सरकारों ने दुकानों में प्लास्टिक की थैली देने पर रोक लगा दी है। भारत को पॉलीथीन आदि जैसे सिंगल–यूज' प्लास्टिक उत्पादों से मुक्त कराने की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की संयुक्त राष्ट्र ने प्रशंसा की है। वर्ष 2022 तक सिंगल यूज वाले सभी प्लास्टिक से मुक्त होने के भारत के लक्ष्य ने संयुक्त राष्ट्र को प्रभावित किया है। उसके पर्यावरण कार्यक्रम के 'डिवीजन ऑफ कम्युनिकेशन्स एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन्स' के निदेशक नेसन साहयबा ने कहा कि भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह पूरी दुनिया के एक नजीर है। बहरहाल, इस शाबासी के बावजूद हकीकत हम सब जानते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में यूं बस गया है कि उसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे।

किसी कवि ने सत्य ही लिखा है कि

^^ikWyhFkhu ds gSa Hkjs] fdrus gh Hk.MkjA
blls iSnk gks jgs] pkjks vksj fodkjAA
ikWyhFkhu [kk ej jgs] tho lHkh tks fe=A
ekuo Hkh le>s ugha] ;g gS ckr fofp=AA
ikWyhFkhu ls ftUnxh] jgs vkx esa >ksdA
'kgjh&ngkrh lHkh] iky jgs ;g 'kkSdAA
ikWyhFkhu ds :Ik ij] jhs> jgs gSa ykxA
lqfo/kkvksa ds ykHk esa] iky jgs gSa jkxAA

हमें प्लास्टिक के विकल्प आजमाने चाहिए। यह कानून अन्य सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग पर लागू नहीं होता इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं हो पाता। इसलिए केवल सभी प्रकार के पॉलीथीन के उपयोग पर ही नहीं, इसके निर्माण पर भी रोक लगे।

पुरस्कार लेने के बाद मोदी जी ने पर्यावरण बचाने को लेकर भारत की वचनबद्धता को फिर दोहराया और कहा कि 'वर्ष 2030 तक भारत में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। देश अपनी इस वचनबद्धता पर कायम है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया में किसी वस्तु के फिर से इस्तेमाल (री–यूज) और उसके री–साइकिलिंग करने जैसी बात हो रही है, लेकिन भारत में सदियों से यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है।' इससे प्लास्टिक के उन्मूलन की उम्मीद बंधती है। वर्ष 2017 में साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित रिपार्ट के मुताबिक दुनियाभर में उपयोग हो रहे 90 प्रतिशत प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं होते हैं। इसकी वजह से पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है या विशेष मानकों के तहत ही इसके इस्तेमाल की अनुमति दी है। यहां प्लास्टिक को रिसाइकल कर इससे खाद भी बनाई जाने लगी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने पर आधारित की गई और भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान राष्ट्र बनाया।

नवीकरणीय ऊर्जा

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज के इस औद्योगिक युग में पर्याप्त ऊर्जा के बिना उद्योग, परिवहन, संचार, कृषि आदि क्षेत्रों में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और अगर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अंधाधुंध दोहन होता रहा तो अगले चार–पांच दशकों बाद इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा और धरती पर ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संकट से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ही बचा सकते हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विकास पर अभूतपूर्व एवं विशेष बल दिया है। भारत सरकार का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वैकल्पिक ऊर्जा के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रौद्योगिकी विकास, प्रमाणन, आर्थिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जन–प्रचार आदि कार्यक्रम चला रहा है इसके फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से लाभ उठाकर बिजली संकट को दूर कर लोगों के जीवन–स्तर सुधारने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में भारत क्रमशः तीसरा एवं चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। भारत ने कुछ कोयला से बिजली बनाने का प्लांट रद्द करने की भी योजना तैयार कर ली है, जो न सिर्फ इसे अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने का अवसर देंगे बल्कि पेरिस समझौते के तयशुदा की अपेक्षा ज्यादा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य में सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग होगा। प्रधानमंत्री जी सिलिकॉन वैली तक तरह भारत में सोलर वैली बनाने की इच्छा जताई है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का पर्यावरण संरक्षण के प्रति योगदान सराहनीय रहा है। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में जल संरक्षण के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनके बहु–आयामी उपायों के फलस्वरूप अहमदाबाद में प्रदूषण में भारी गिरावट आई। उनके पर्यावरण संरक्षण नीतियों के फलस्वरूप पूरा गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का केन्द्र बन सका। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके सराहनीय पहल के कारण देश धीरे–धीरे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर 2 पुस्तकें भी लिखी हैं।

भारत के लिए दोहरे सम्मान की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने कोच्चि हवाई अड्डे को भी सस्टेनेबल एनर्जी यानी टिकाऊ ऊर्जा के इस्तेमाल में उसके नेतृत्व में उद्यमी दृष्टिकोण के लिए पुरस्कृत किया है। कोच्चि यह दिखा रहा है कि हमारी बढ़ती वैश्विक गतिविधि का नेटवर्क नुकसान नहीं पहुंचाता है।

प्रदूषण

ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अनवरत दोहन से होने वाले हानिकारक कार्बनिक रासायनिक गैसों के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषित हो रही है, वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा हो रही है जिससे हमारी धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अमेरिकी संस्था 'हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट' के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण से हर साल 42 लाख से ज्यादा लोग समय से पहले दम तोड़ देते हैं, जिनमें अकेले भारत में 11 लाख मौतें होती हैं। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से मौसम का जो रौद्र रूप दिख रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। मुंबई की बारिश हो, केदारनाथ की तबाही, चेन्नई एवं केरल की हालिया तबाही वाली बारिश या दिल्ली में छाई प्रदूषण की परत, जाहिर है, मौसम का मिजाज बदला है जो प्रदूषण को छंटने नहीं दे रहा और हमारे शहर गैस के चैम्बर बन गए हैं। खतरा भारत पर इसलिए बड़ा है क्योंकि यहां आबादी ज्यादा है किंतु संसाधन कम। हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करने की जरूरत है ताकि ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम हो और हम सस्टेनेबल कंजप्शन एवं जलवायु न्याय की ओर अग्रसर हो सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर विचार–विमर्श से एक और कदम आगे बढ़ते हुए, जलवायु न्याय (Climate Justice) के हिमायती हैं, जिसके तहत समस्त मानवजाति की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि भावी पीढ़ियों को विरासत में स्वच्छ और हरी–भरी धरती मिले।

आज दुनियाभर में 10 में से 9 लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने अपने एक अध्ययन में बताया था कि भारत में रोगों के कारण असमय मौत के 30 प्रतिशत मामलों में मुख्य वजह वायु–प्रदूषण है। भारत जैसे तीव्र गति से विकास कर रहे देश के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण विशेष चिंता की बात है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आकलन के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा वायु–प्रदूषण वाले कुल 15 शहरों में 14 भारत के हैं और देश के ज्यादातर इलाकों में वायु की गुणवत्ता लगातार घट रही है। ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 280 शहरों में से 80 प्रतिशत शहरों की हवा में प्रदूषण राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से कहीं ज्यादा है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रदूषण से निपटने को लेकर सरकार के स्तर पर भारी दुविधा है। एक तरफ वह स्वच्छ पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है, दूसरी तरफ विकास के नाम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर और अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रति कुछ ज्यादा ही उदार बनी रहती है। सीएसई ने अपनी रिपोर्ट (2017) में ध्यान दिलाया था कि पर्यावरणीय कारणों से पैदा होने वाले जोखिम की पहचान और उससे निबटारे के उपाय किए बगैर भारत गैर–संक्रामक रोगों जैसे हृदय रोग, सांस के रोग, मधुमेह और कैंसर आदि की बढ़वार पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर–संक्रामक रोगों की बढ़वार के मुख्य कारक के तौर पर शराब, तंबाकू, कम गुणवत्ता का भोजन तथा शारीरिक मेहनत की कमी की पहचान की है और इसके लिए प्रति व्यक्ति 1–3 डॉलर प्रतिदिन के खर्चे को जरूरी माना है। लेकिन सीएसई ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा था कि भारत में गैर–संक्रामक रोगों की वृद्धि के कारकों में पर्यावरणीय जोखिम (जैसे वायु प्रदूषण) की भी गिनती जरूरी है और स्वास्थ्य–संरक्षा या फिर आर्थिक वृद्धि की नीतियां भी पर्यावरणीय जोखिम को ध्यान में रखकर बनायी जानी चाहिए।

वास्तव में 1860 की औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ी है। उसके अनेक पर्यावरणीय दुष्परिणाम मानव के सामने प्रकट हुए हैं। अमेरिका, चीन एवं यूरोप ने दुनिया के पर्यावरण को अपने युद्धों के लिए सामरिक क्षमता एवं बाजार विस्तार की लालसा से बर्बाद किया है। पिछले कुछ दशकों में इन देशों के द्वारा खुले द्वीपों एवं पानी में किए गए हजारों परमाणु परीक्षणों से निकले विभिन्न रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स (स्ट्रोंटियम–90 से ब्लड कैंसर और बोन कैंसर, ट्रीटियम से फेफड़ों के कैंसर, प्लूटोनियम–239 से लिवर और बोनमेरो, आइयोडीन–131 से थायरॉयड कैंसर) फूड चेन में शामिल होकर कैंसर जैसी बीमारियों का जनक बने हैं। सिर्फ परमाणु परीक्षण ही नहीं पेट्रोलियम और कोयले के अंधाधुंध इस्तेमाल से इन देशों ने पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे पर खड़ा किया है। पेरिस में मोदी जी ने ठीक ही कहा था कि "जिन पश्चिमी देशों ने गत वर्षों में जीवाश्म ईंधन के बल पर तरक्की की है, उन्हें भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन हमारे कारण नहीं हुआ है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है जो कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जीवाश्म ईंधन के कारण पैदा हुई है।" भारत ने सुरक्षा से जलवायु परिवर्तन को जोड़ने और संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद को इसके हल के लिए सचेत रुख अपनाने की अपील की है। भारत ने कहा है कि जिन समस्याओं के गैर सैन्य हल की जरूरत है, उनका सैन्य समाधान करने का नुकसानदेह परिणाम होगा।

पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्रदूषण है। ये कई तरह के होते हैं और ये सभी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नजदीकी और तात्कालिक होता है तो भूमि प्रदूषण का असर दीर्घकालिक होता है, नदियों और भूजल का प्रदूषण व्यापक होता है, लेकिन वायु प्रदूषण तो सबसे ज्यादा विकराल होता है। प्रदूषण ने सबसे पहले हमारी जमीन की ऊपरी सतह को जहरीला बनाया, फिर नदी–नालों को, फिर भूजल को और फिर वायुमंडल को। पर्यावरण की चुनौतियां कोई रातों–रात पैदा नहीं होतीं और न ही रातों–रात समाप्त हो सकती हैं। अब हम पर है कि हम वक्त रहते पर्यावरणीय बीमारियों के उपचार के लिए कितने कारगर इलाज अपनाते हैं। यह केवल शासन–प्रशासन, न्यायालय के भरोसे नहीं हो सकता बल्कि चौतरफा प्रयास और व्यापक दृष्टिकोण के बगैर कुछ नहीं बदलेगा। अपने या अपनों के सीने की जलन और धुंए से जलती आंखों का तूफान तो अनदेखा नहीं किया जा सकता ना। ऐसे में, राष्ट्रहित में कुछ ठोस संकल्प लेने की जरूरत है। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना ही होगा। जिस प्रकार दीपक की बाती खुद जलकर अपने चारों ओर प्रकाश फैलाती है ठीक उसी प्रकार हमें कुछ तकलीफ उठाकर भी अपने देश के साथ–साथ पूरी दुनिया को बचाना होगा। पृथ्वी हमसे नहीं बल्कि पृथ्वी से हम हैं यानि कि यदि पृथ्वी का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है अन्यथा हमारा कोई मूल्य नहीं। हमें इन डराने वाली स्थितियों से बचना है, तो हमें अभी ही कदम उठाने पड़ेंगे। हमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी होगी और इस कवायद में उन मुल्कों पर दबाव बनाना भी शामिल है जो सबसे ज्यादा जहरीली गैसें उत्सर्जित कर रहे हैं। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए दुनिया में परिवहन क्रांति की अगुवाई करने के कोशिश कर रही है जिससे पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। उम्मीद है कि दुनियाभर की सरकारें मिलकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुके वायु प्रदूषण से निबटने के लिए ठोस निर्णय लेंगी और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित बनायेंगी। हमारा यह कर्तव्य है कि हम एक ऐसी स्वास्थ्य नीति बनाएं जो जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से निपटने में सहायक बने।

औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने तेल, कोयला वगैरह का खूब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और प्रकृति का संतुलन खत्म होने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस में 65 प्रतिशत हिस्सा कार्बन ऑक्साइड का होता है। समुद्र, जंगल, पेड़–पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं किंतु कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की इनकी क्षमता अब कम होती जा रही है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक से भी अधिकतम हो गई है। ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ मौसम में गर्मी आना ही नहीं बल्कि जलवायु का असंतुलित होना और मौसम का व्यवहार अनिश्चित हो जाना भी है। कहीं बहुत ज्यादा ठंड तो कहीं असहनीय गर्मी पड़ने लगी है। इन दिनों न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में बल्कि भारत समेत समूचे उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी जगहों पर बाढ़ आई जहां उसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी। मौसम की इस चेतावनी को समझने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जारी अभियानों को और तेज करना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के प्रकोप एवं ग्लोबल वार्मिंग से अब पेड़–पौधे एवं स्वच्छ ऊर्जा ही दुनिया को बचा सकते हैं। दुनिया को प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की कुंजी भारत के पास है, लेकिन इसके लिए उसे तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।

निस्संदेह पर्यावरण को बचाने के लिए भारत ने लगातार अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है, चाहे वह पेरिस समझौते का पूरी तरह पालन करने का उसका वायदा हो, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गरीब महिलाओं को गैस एवं गैस चूल्हा वितरित करने की महत्वाकांक्षी योजना हो या वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में वर्ष 2020 में वाहनों के लिए बीएस–4 से सीधे बीएस–6 मानक का ईंधन लागू करने का फैसला हो। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए 'चैम्पियन ऑफ द अर्थ' सम्मान से भारत का गौरव तो बढ़ा ही है, उम्मीद करनी चाहिए कि यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में देश को और भी मौलिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा।

दो लघु निबंध

रम्या रावत*

1. स्वस्थ व्यक्ति और उसका जीवन

"तभी कमा सकते हैं खूब धन,
जब स्वस्थ हों आपके तन और मन।"

हम जंक फूड, खासतौर से बाहर के खाने से प्यार करते हैं। लेकिन क्या यह स्वास्थ्यकर है? क्या हमें यह भोजना करना चाहिए? क्या आपने कभी एक स्वस्थ व्यक्ति देखा है? जब हम उसे देखते हैं तो हम हमेशा उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं, "दोस्त, क्या आप मिताहार (डाइटिंग – आहार कम करना) कर रहे हैं", लेकिन यह गलत है।

स्वस्थ होने का मतलब यह नहीं है कि हमें मिताहार शुरू करना है, बल्कि इसका मतलब जंक फूड न लेना और घर में बना स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाने से है। तभी कोई व्यक्ति तंदुरुस्त, नीरोग और शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकता है। ऐसे व्यक्ति खुशहाल जीवन जीते हैं तथा स्वस्थ होने के महत्व के बारे में दूसरे लोगों को भी जागरूक करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर गौर करना होगाः

- आवश्यकता से अधिक खाना न खाएँ।
- जब भी समय मिले, व्यायाम करें।
- पानी खूब पीएँ।
- सुबह जल्दी उठें तथा आलसी न बनें।

सभी स्वस्थ लोग अमीर नहीं हैं या स्वस्थ होने के लिए कोई पूरक पोषण नहीं लेते हैं। वे सिर्फ एक साधारण जीवन जीते हैं और घर में बना भोजन करते हैं। इस लेख का सारांश यह है कि "स्वास्थ्य ही धन है"। यह एक बहुत ही आम कहावत है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी धन कमा सकते हैं।

निम्नलिखित उदाहरणों में आप खुद की कल्पना करें:

➢ यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप ज्यादा समय अपने घर के बजाय डॉक्टर के क्लीनिक में बिताते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो वह अपने सारे पैसे डॉक्टर के शुल्क और महंगी दवाओं पर खर्च कर रहा है। वह अपनी अन्य जरूरतों/सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है।

➢ लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आप अपनी जरूरतों / सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, आप इसे करने में सक्षम हैं।

अतः, बेहतर यही है कि आप अमीर होने के साथ–साथ स्वस्थ भी रहें, आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लें और अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, अमीर बनें।

2. त्यौहार का महत्व

सबसे मूल्यवान और आजादी वाले दिनों में से एक त्यौहार के दिन या सप्ताह हैं। हाँ, किसी ने बहुत सही कहा है कि त्यौहार कीमती है क्योंकि वे दुनिया के विभिन्न कोनों से किसी के परिवार को जोड़ने का एकमात्र माध्यम हैं। वे सबसे अधिक उत्साहित दिन हैं क्योंकि वे समाज में एक चमक लाते हैं। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि" त्यौहार समाज में चमक कैसे लाते हैं?" इसका आसान सा उत्तर यह है कि वास्तव में त्यौहारों का मुख्य उद्देश्य ही यह है की समाज में विभिन्न वर्गो/समुदायों के लोग किसी भी किस्म की दुश्मनी को भुलाकर एकजुट हो जाएं। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि "त्यौहार क्यों महत्वपूर्ण हैं या उन्हें इतना महत्व क्यों दिया जाता है?" इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि कि त्यौहार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमें अन्य संस्कृतियों और धर्मो के बारे में अनेक बातों को जानने का मौका देते हैं ।

उदाहरण के लिए, जब होली आती है, तो तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म से संबंधित है, सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं और साथ में आनंद लेते हैं। ऐसे ही जब ईद, गुरुपुरव या क्रिसमस आते हैं तो सभी धर्मों के लोग इसी तरह इकट्ठे होकर त्यौहारों का आनंद लेते हैं। त्यौहारों के दौरान, लोग मानवता दिखाते हैं और त्यौहार को समझने और समझाने के लिए अन्य धर्म के लोगों को आमंत्रित करते हैं।

लेकिन, दुख की बात यह है कि आधुनिक और तकनीकी दुनिया में आज हम इन आनंदमय और बहुमूल्य त्यौहारों के वास्तविक अर्थ और महत्व को भूल गए हैं। हम इन त्यौहारों को अपने तरीके से मनाते हैं जैसे रिश्तेदारों को केवल संदेश भेजना, एक–दूसरे से मिलकर अपनी शुभकामनाएँ देने की बातों को जैसे हम भूल ही गए हैं। आजकल हम मोबाइल पर चिपके हुए हैं और कभी–कभी हम अपने माता–पिता की भी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं।

क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का जश्न मनाने का उत्सव परिवार के साथ जश्न मनाने से बेहतर है? नहीं, हम वास्तव में त्यौहार के वास्तविक अर्थ और महत्व को भूल गए हैं। त्यौहार के वास्तविक अर्थ और महत्व इस तकनीकी दुनिया में कहीं खो से गए हैं। जो आनंद हमें अपने परिवार के साथ त्यौहारों में शामिल होकर मिलता है वह हमें फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ चिपककर नहीं मिल सकता है। अंत में, त्यौहार वास्तव में हमारे लिए हैं और हमें हमेशा इनके वास्तविक महत्व का सम्मान करना चाहिए या इसके बारे मे जानना चाहिए।

---

* *सुपुत्री श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासन अधिकारी, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में शुक्रवार, 21 दिसम्बर 2018 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरु करने से पहले संस्थान की ओर से श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासन अधिकारी ने पुष्प–गुच्छ देकर नराकास, नौएडा के सदस्य सचिव श्री अरविन्द कुमार का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने सभी प्रतियोगियों का स्वागत करते हुए संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सफलता के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर नराकास, नौएडा के सदस्य सचिव श्री अरविन्द कुमार ने नराकास, नौएडा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रतियोगियों से अधिकाधिक काम हिंदी में करने का आग्रह किया। इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 24 सदस्य कार्यालयों से 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया। श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा प्रतियोगिता के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के उपरांत स्वागताध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी।

राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान/नियम/घटनाक्रम

बीरेंद्र सिंह रावत*

1. संवैधानिक प्रावधानः भारत के संविधान के भाग 5 (अनुच्छेद 120), भाग 6 (अनुच्छेद 210) एवं भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351)

भाग 5 (अनुच्छेद 120): संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

संसद में कार्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु राज्यसभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

भाग 6 (अनुच्छेद 210): विधान मण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह अनुच्छेद जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं है।

भाग 17: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 (1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343 (2): संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष तक की अवधि तक उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 343 (3): इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा –

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान।

अनुच्छेद 344–347: प्रादेशिक भाषाओं (राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं, पत्राचार की भाषा, आदि) संबंधी प्रावधान।

अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी प्रावधान।

अनुच्छेद 349: भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।

अनुच्छेद 350: व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा – प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश।

2. आठवीं अनुसूचीः संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं:

असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोड़ो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली (इनमें से सिंधी भाषा को 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को 1992 में तथा बोड़ो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को 2004 में इस अनुसूची में शामिल किया गया)।

** वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

3. हिंदी दिवसः संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में 14.09.1949 को स्वीकार किया, तथा संसद में संविधान का भाग 17 इसी दिन पारित हुआ। इसीलिए, वर्ष 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

4. राजभाषा अधिनियम, 1963ः संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 10.05.1963 को राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह–राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ (कुल 14) हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगेः संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञा पत्र (परमिट), निविदा सूचनाएँ, निविदा फॉर्म।

5. राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

नियम 2: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में बांटा गया हैः

(अ) क्षेत्र "क" में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, और झारखंड राज्य तथा दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(ब) क्षेत्र "ख" में पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(स) क्षेत्र "ग" में, खंड "अ" एवं "ब" में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं।

नियम 5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में दिए जाएंगे।

नियम 7ः कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

नियम 8ः (1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणया कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी लिख सकता है।

नियम 8ः (4) अधिसूचित कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य ऐसे शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं।

नियम 9ः हिन्दी में प्रवीणता – यदि किसी कर्मचारी ने –

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा उसके समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(ग) यदि वह नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम 10ः हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; या

(ii) केंद्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

6. राजभाषा नीति संबंधी मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के लिए गठित समितियाँ

(i) केंद्रीय हिन्दी समिति (23 जून 2017 को पुनर्गठित)

अध्यक्ष – माननीय प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष – केंद्रीय गृह मंत्री,

सदस्य – केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (राजभाषा के प्रभारी), 6 अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उपसमितियों के संयोजक, हिन्दी के विद्वान, समाजसेवी एवं पत्रकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग

(कुल 30 सदस्य)

उद्देश्य – सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा हिन्दी के विकास एवं प्रसार हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वयार्थ शीर्षस्थ समिति

(ii) संसदीय राजभाषा समिति

अध्यक्ष – माननीय गृह मंत्री

सदस्य – 30 (20 सांसद लोकसभा से और 10 राज्य सभा से)

उद्देश्य – संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करके उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(iii) मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियाँ

अध्यक्ष – संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री महोदय

सदस्य – मंत्रालय/विभाग के अधिकारी एवं गैर सरकारी सदस्य

उद्देश्य – मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना एवं परामर्श देना।

(iv) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष – सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य – विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्चतर स्तर के अधिकारी

उद्देश्य – मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना।

(v) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष – विभाग में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्चतर स्तर के अधिकारी

सदस्य – विभाग एवं संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी/प्रभारी

उद्देश्य – तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाना। आवधिकता – 3 महीने में एक बार

(vi) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष – नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी

सदस्य – नगर में स्थित केंद्र सरकार के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख

उद्देश्य – नगर में स्थित केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा समन्वयन सहित राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना। आवधिकता – 6 महीने में एक बार

7. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का गठन 1985 में किया गया, तथा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण के चार पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत निर्धारित हैं।

8. अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष श्री बी जी खेर थे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री जी बी पंत थे।

9. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिन्दी समिति का गठन सर्वप्रथम 05.09.1967 को किया गया तथा इस समिति की पहली बैठक 02.12.1967 को हुई। संसदीय राजभाषा समिति का गठन (तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता की अध्यक्षता में) 1976 में किया गया।

10. सर्वप्रथम 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और फिर 1988 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र की आमसभा को हिन्दी में संबोधित किया।

आयुष्मान भारतः स्वस्थ एवं समृद्ध भारत की ओर बढ़ते कदम

राजेश कुमार कर्ण*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी। विश्व की इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना नाम दिया गया है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्रीजी ने 23 सितम्बर 2018 को राँची के प्रभात तारा मैदान में एक समारोह में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ पीएम–जेय शुरू हो रहा है, कोई इसे मोदीकेयर कहता है, इसको अलग–अलग नाम दिये जा रहे हैं। लेकिन यह दरिद्र नारायण की सेवा का महान अवसर है। दुनिया की अपनी तरह की सेवा है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आरोग्य की सुरक्षा तय की जाएगी। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के किसी भी परिवार पर मुसीबत न आये, अस्पताल के दरवाजा पर न जाएं, दुर्भाग्य से दुश्चक्र आता भी है तो मेरे देश के धनी आदमी को जो सुविधा मिलती है, वह गरीबों को भी मिले।... हमने गरीबों के स्वाभिमान और सपने को समझते हुए उसे साकार करने का प्रयास किया है। हमने बीमारी की जड़ पकड़ी है। देश गरीबी से मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ा है। पांच करोड़ परिवार अति गरीबी से बाहर निकल गये हैं। हमने गरीबों के सशक्तीकरण पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि ''गरीब की ताकत को पहचानना जरूरी है। हमारी सारी योजनाएं गरीबों के सशक्तीकरण के लिए है।... हमने सबका साथ सबका विकास का रास्ता चुना। आयुष्मान भारत उसी नीति का उदाहरण है।'' उन्होंने कहा कि पूरे भारत का सपना आज साकार हो रहा है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया' के सदियों पुराने संकल्प की बहुमूल्य शुरूआत इसी शताब्दी में पूरी हो रही

* स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

है। सदियों पहले ऋषियों–मुनियों का जो संकल्प था, वह भगवान बिरसा मुंडा की धरती से पूरा हो रहा है।

प्रधानमंत्रीजी ने समाज के सबसे निचले तबके की मदद करने के मकसद से बहुत ही गंभीरता के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। यह योजना प्रभावी रूप से 25 सितम्बर, 2018 से लागू है। इस योजना से 10 करोड़ लक्षित परिवार लाभान्वित होंगे। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की औसतन संख्या पाँच मानते हुए इससे 50 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। आयुष्मान योजना के दायरे में अभी सरकार के पैनल में शामिल किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में पाँच लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज (भर्ती के लिए) की सुविधा है। इस योजना के तहत अब तक 15 हजार अस्पतालों को पंजीकृत किया जा चुका है जिनमें सरकारी एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के अस्पताल शामिल हैं। पिछले चार महीने में ही लगभग 10 लाख लोग इस योजना के तहत इलाज करा चुके हैं। लगभग सभी गंभीर बीमारियां इसमें कवर हैं। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) को दी गई है जो इसका संचालन कुशलतापूर्वक कर रहा है।

इस योजना में लाभार्थियों का चुनाव सम्प्रदाय, जाति, धर्म, अमीरी–गरीबी के आधार पर नहीं बल्कि 2011 की सामाजिक–आर्थिक व जातीय जनगणना में निर्धन के तौर चिन्हित किए गए सभी लोगों को इसके लिए पात्र माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वंचना की सात श्रेणियों के आधार पर जहां लाभार्थियों की पहचान की गई है वहीं शहरी क्षेत्रों में 11 पेशेवर मापदंड पात्रता के आधार माने गए हैं। उपर्युक्त आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के 8.03 करोड़ व शहरों के 2.33 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी हैं। यह आंकड़ा देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सूरत बदलने वाला है। वर्ष 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आए लोग भी प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना के हेतु पात्र हैं। इस योजना पर होने वाले खर्च को केन्द्र एवं राज्य सरकारें क्रमशः 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में वहन करेंगी।

आयुष्मान भारत योजना के महत्व को उस सर्वे से समझा जा सकता है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च करने वाले 195 देशों की सूची में भारत का स्थान 158वां था। भारत इस सूची में सूडान, अजरबेजान जैसे देशों से भी निचले पायदान पर है। यह सर्वे हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य नीति पर एक चिंताजनक टिप्पणी है। वस्तुतः हमारी 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को निजी क्षेत्र के अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ा है, जिनकी ऊंची लागतों ने उचित स्वास्थ्य देखभाल को अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया है। गांवों में तो साधारण इलाज भी नहीं मिलता। यहां कुपोषण, गरीबी, प्राथमिक उपचार का अभाव और सरकारी उपेक्षा के कारण बीमारियों की रोकथाम नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बहुत कम होने, जरूरी उपकरण एवं जांच के अभाव के चलते मौजूदा स्वास्थ्य सिस्टम पर बहुत दबाव है जिसका परिणाम लापरवाही और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता रहता है। सात हजार आबादी एक ही डॉक्टर के सहारे है। 2002 में तय की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य पर जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च करने की बात थी किंतु यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा देश स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और रिक्तियों की समस्या से जूझ रहा है।

इस निराशाजनक स्थिति का सबसे मुख्य कारण सार्वजनिक निवेश की कमी रहा है। देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मिलाकर स्वास्थ्य पर कुल सरकारी व्यय जीडीपी का 1.1 प्रतिशत है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 04 प्रतिशत से बहुत कम है। नतीजा, स्वास्थ्य खर्चों का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को अपनी जेब से वहन करना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में देश के लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग अपने स्वास्थ्य पर भारी खर्च की वजह से आर्थिक तंगी के शिकार हो गए जबकि 3 करोड़ 80 लाख लोग सिर्फ दवाइयों का खर्च उठाते–उठाते गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। दिल की बीमारियों, कैंसर और डायबिटीज जैसी गैर–संक्रामक बीमारियों पर देश के ज्यादातर परिवारों द्वारा सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। कई परिवार को इसने तबाह कर दिया। गरीब लोगों को सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य चोटों पर भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। समस्या यह है कि देश के ज्यादातर सरकारी अस्पताल आज भी कई बीमारियों का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, परिणामतः लोगों को निजी अस्पतालों

की शरण लेनी पड़ती है जो काफी महंगा होने के कारण काफी खर्चीली होती है। बीमारी एवं कुपोषण देश के कार्यबल की ताकत को कमजोर कर देते हैं। ऐसे लोगों को मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना से बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान के लिए दक्षिण कोरिया के सोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन ने 24.10.2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 2018 का 'सोल पीस प्राइज' देने की घोषणा की है। इस फाउंडेशन ने अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक खाई को कम करने के लिए 'मोदीनॉमिक्स' की प्रशंसा की है।

प्रायः सभी सरकारों ने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सक्षम बनाने और अस्पताल को सुविधाओं से लैस करने के बजाय बीमा योजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र को ही मजबूती दी है। जिनका स्वास्थ्य बीमा है, उन्हें भी इसका लाभ अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है। जबकि उन्हें काफी ज्यादा खर्च और जोखिम मामूली बीमारियों पर उठाना पड़ता है, जो बीमा के दायरे में नहीं आती। सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी एवं कष्ट वे भोगते हैं जिन्हें किसी क्रानिक बीमारी की वजह से बार–बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता और लंबे समय तक या जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप डेढ़ लाख स्वास्थ्य व कल्याण केन्द्र स्थापित करने जा रही है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों से ये प्रायः दवाएं नहीं मिल पातीं और बाजार से महंगी दवाएं लेनी पड़ती है। इसलिए मोदी सरकार ने लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में लगभग चार हजार जनऔषधि दुकानें खोली हैं जिसका फायदा लोगों को हो रहा है।

आयुष्मान भारत की वृहद योजना से करोड़ों गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने की गुंजाइश बनी है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हरेक परिवार को आर्थिक बोझ और तकलीफों से निजात दिलाएंगी। बुजुर्गों के लिए लंबे समय तक चलने वाले इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यह योजना वरदान साबित हो सकती है। निश्चय ही आयुष्मान भारत योजना गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। इस योजना का मकसद आम लोगों की जेब से होने वाले अस्पताल के खर्च को कम करना और उन्हें गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस योजना के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिन्हें प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का नाम दिया गया है। उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। निसंदेह आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी स्वास्थ्य योजना है, जो यदि

जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हुई, तो बीमार गरीबों को बेबसी और लाचारी से काफी हद तक निजात दिला देगी। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। इसलिए एक लोक–कल्याणकारी राज्य के दायित्व को निभाते हुए अक्षम नागरिकों को सहुलियत देने की हरेक कवायद स्वागतयोग्य है। चूंकि इस योजना का खर्च केन्द्र और राज्यों को वहन करना है इसलिए सरकारों का आपसी सहयोग भी बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश इस योजना में दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं तेलंगाना अभी इसमें शामिल नहीं है।

कुछ लोगों ने यह आशंका जताई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह इस योजना से भी बीमा कंपनियों एवं निजी अस्पताल फायदे उठायेंगी और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और भी कमजोर होगी। इस पर हमें ध्यान देना होगा। अस्पतालों की पूरी व्यवस्था में मरीज को जो उपेक्षा मिलती है, वह उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ती है। डॉक्टरों सहित अस्पतालों के सभी कर्मचारियों में मरीजों के प्रति सहानुभूति का भाव होना ही चाहिए। हर भारतवासी बेहतर स्वास्थ्य लाभ का हकदार है। स्वास्थ्य में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार होना चाहिए। डाक्टरों के साथ–साथ प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना के क्रियान्वयन में लगे लोगों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाकर जीडीपी के 2.5 प्रतिशत करते हुए सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है पर यह तभी संभव है जब सरकार अपने स्वास्थ्य तंत्र को देश की जरूरत के मुताबिक ढालने का मन बनाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 'स्वास्थ्य पर जीडीपी के चार प्रतिशत व्यय करने' एवं 'एक हजार व्यक्ति पर एक डॉक्टर' के मापदंड को पूरा करना होगा। पूरे स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है।

मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को सात बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगवाए जा रहे हैं। बच्चों में न्यूमोनिया, दस्त, खसरा तथा पोलियो जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण में टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जच्चा–बच्चा मृत्यु दर में एक तिहाई से ज्यादा कमी लाई गई है। भारत में जटिल से जटिल रोगों के इलाज की सुविधा है। यह विदेशों से बहुत सस्ती एवं अच्छी भी है। इसलिए विदेशों से यहां हजारों लोग इलाज कराने आ रहे हैं एवं स्वस्थ होकर जा रहे हैं। देश को अच्छी क्वालिटी की ऐसी दवाएं बनाने में महारत हासिल हुई है जो पूरी दुनिया में निर्यात होती हैं। सरकार की प्राथमिकता में रोगों की रोकथाम, बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहन, सभी को गुणवत्तापूर्ण व्यापक चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्प है ताकि हर नागरिक स्वस्थ रहे और अपनी ऊर्जा एवं क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सके।

केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक 'स्वास्थ्य टीवी चैनल' की शुरुआत करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। यह प्रस्तावित टीवी चैनल सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के संपूरक के तौर पर काम करेगा। यह पूरी तरह से स्वास्थ्य एवं पोषण को समर्पित होगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में संदेश के प्रसार एवं इससे जुड़े मुद्दों को लेकर जनांदोलन तैयार करने में मदद मिलेगी।

देश की विशाल और विविध जनसंख्या को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना वास्तव में चुनौती रही है। आयुष्मान भारत योजना इस चुनौती को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके प्रभावी कार्यान्वयन से देश के स्वास्थ्य परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन हो सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में सीमित साधनों के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में खासा काम हुआ है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी की मौजूदा रफ्तार बनी रहेगी और वह दिन दूर नहीं, जब भारत को एक पूर्ण स्वस्थ राष्ट्र बनाने का सपना सच होगा। हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि हम बीमारियों से बचें और जितनी भी दूर तक संभव हो, सक्रिय, प्रसन्न और जीवंत बने रहें। हमें अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए ताकि बीमारियां हमारे पास फटके ही नहीं। हमें पोषक तत्वों से युक्त भोजन, शुद्ध हवा–पानी के अलावा एक–दूसरे के सुख–दुख में साझेदारी करने वाला सामाजिक माहौल भी मिलना चाहिए।

संस्थान का 44वाँ स्थापना दिवस समारोह

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के 44वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 02 जुलाई 2018 को बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो ने संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास सहित उपस्थित सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं स्टाफ का समारोह में स्वागत करते हुए महानिदेशक से जनसमूह को संबोधित करने का आग्रह किया। महानिदेशक ने सभी को अपनी शुभकामनाएँ पेश करते हुए संस्थान की विकास यात्रा के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संस्थान अपनी क्षमता एवं अवसंरचना के मामले में पहले से काफी ज्यादा परिपक्व एवं विकसित हुआ है तथा हमें स्पष्ट लक्ष्य तय करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता–प्राप्त संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

तत्पश्चात समारोह के सुचारु आयोजन के लिए डॉ. पूनम एस. चौहान ने श्री अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो से मंच संचालन करने का आग्रह किया। श्री अमिताभ खुंटिआ ने बहुत ही आकर्षक तरीके से सभी कार्यक्रमों के साथ–साथ उनमें प्रतिभागिता करने वाले स्टाफ के बारे में बताया। इस समारोह को राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए इसमें स्टाफ को अपनी मातृभाषा में अपनी प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागतम वृंदगान 'मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम' से की गई तथा इसका समापन समूह गान के साथ हुआ। इनके अलावा कर्नाटकी संगीत, भोजपुरी संगीत, ओड़िया, मणिपुरी, गढ़वाली, कुमाऊँनी एवं हिंदी गानों, कविता पाठ के अलावा दो हास्य–नाटिकाओं एवं 'महिला सशक्तिकरण' पर एक लघु नाटक का मंचन किया गया। संस्थान के लगभग एक–तिहाई स्टाफ ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर समारोह के सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महानिदेशक ने समारोह के शानदार मंचन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी तथा सभी से इसी उत्साह के साथ आगे भी कार्य करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो एवं श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए डॉ. एलीना सामंतराय ने संस्थान के महानिदेशक, प्रतिभागियों एवं समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित हैः

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in